



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अं.-09012020-215269
CG-DL-E-09012020-215269

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ((ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|--------|--|
| सं. 7] | नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941 |
| No. 7] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941 |

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020

का.आ. 7(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1943(अ), तारीख 11 जून, 2019, द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 जून, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के बारे में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किए गए थे;

और, कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य (सी एन डब्ल्यू एल एस) की स्थापना जी.ओ (एमएस) सं.30 पर्यावरण और वन विभाग तारीख 24 फरवरी, 2014 द्वारा की गई थी और तमिलनाडु सरकार के राजपत्र अधिसूचना में बुलेटिन सं.10 तारीख 12 मार्च, 2014 में प्रकाशित की गई थी;

और, अभयारण्य उत्तर अक्षांश 12.2557° उ से 12.6846° उ और पूर्व देशांतर 77.5812° पू से 77.9739° पू के स्थित है और यह कृष्णगिरि जिला के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। अभयारण्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 504.33 वर्ग किलोमीटर है और होसुर और धर्मपुरी वन संभागों के चौबीस रिज़र्व वनों में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल में से, 493.33 वर्ग किलोमीटर कृष्णगिरि जिला के देनकनीकोट्टई तालुक में स्थित है और धर्मपुरी जिला के पालाकोड तालुक में 11 वर्ग किलोमीटर में स्थित है;

और, अभयारण्य समृद्ध वनस्पति और जीवजन्तु विविधता के लिए जाना जाता है। चूंकि, यह कर्नाटक के बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के निकटस्थ है, अतः संरक्षित क्षेत्र कई जंगली पशुओं के लिए एक आदर्श पर्यावास के रूप में जाना जाता है। कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मगिरि-नीलगिरि-पूर्वी घाट हाथी भू-दृश्य का भाग है और यह नीलगिरि-पूर्वी घाट हाथी रिज़र्व भी है। तमिलनाडु और कर्नाटक में फैले वनों निकटस्थ भू-दृश्य वन्यजीवों के विभिन्न रूपों के लिए एक आदर्श वास प्रदान करता है;

और, अभयारण्य तमिलनाडु के नीलगिरि पहाड़ियों, कर्नाटक के बांदीपुर-नागरहोल संरक्षित क्षेत्र, केरल के वायनाड, कर्नाटक के विलिगिरिरंगनाथस्वामी मंदिर अभयारण्य के समीप सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व और धर्मपुरी वन संभाग मिश्रित भू-भाग से जुड़ा है;

और, अभयारण्य में समृद्ध वनस्पति और जीवजन्तुओं की विविधता में समृद्ध है। इसमें पौधों की 468 प्रजातियों, स्तनधारियों की 36 प्रजातियों, पक्षियों की 272 प्रजातियों और तितलियों की 172 प्रजातियाँ हैं जिसमें दुर्लभ, स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियाँ जैसे ग्रिज़लड जेंट गिलहरी, फोर-होर्नड एन्टिलोप, तेंदुआ, हाथी, ढोले, रीछ आदि शामिल हैं। यह निकटस्थ और मिश्रित भू-दृश्य वन्यजीवों के प्रवास में मदद करता है और इसलिए एशियाई हाथियों, बंगाल बाघ, तेंदुए, आदि जैसे बड़े स्तनधारियों के लिए एक संभावित गलियारे के रूप में कार्य करता है। वन्यजीवों विशेषकर हाथियों की आवाजाही विभिन्न सुरक्षा और संरक्षण उपायों के माध्यम से ही संभव है;

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तुओं की बृहत् विविधता है। वनस्पति के उदाहरणों में अलिंगी मरम (*अलंगियम सालविफोलियम*), थुरिनजी मरम (*अल्विजिया अमारा*), करुवागई मरम (*अल्विजिया ओडोराटिसिमा*), वेल नगामाराम/वक्काली (*अनोगीसस लैटिफोलिया*), कत्तू एलुमिचाई (*अटलांटिया मोनोफाइला*), कडप्पाई मरम (*बरिंगटोनिया एकुटानुला*), अथी मरम (*बौहिनिया रेसेमोसा*) हैं। जीवजन्तु के उदाहरणों में एशियन हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), मुंजक (*मुंटियाकस मुंतजैक*), ब्लैक नैड खरगोश (*लेपस नाइग्रीकोलिस*), लघु पुच्छ वानर (*मैकाका रेडिएट*), सामान्य लंगूर (*सेन्नीपिथेकस एसपीपी*), सामान्य पॉम सिवेट (*पैगुमा लार्वाटा*), चौसींगा मृग (*टेटरासेरेस क्वारिकोरनिस*) शामिल हैं;

और, अभयारण्य में पक्षी-जीव विविधता बृहत् और विविध है अभयारण्य में पक्षियों के कुछ उदाहरण ग्रे फ्रैंकोलिन (*फ्रांसोलिनस पाण्डिसारियनस*), जंगली बुश बटेर (*पेडिकुला एशियाटिक*), पेंटड बुश बटी (*पेडिकुला एरिथ्रोनिन्चा*), लाल स्पुरोफल (*गैलोपेरडिक्स स्पैडिसिया*), ग्रे जंगली मुरगा (*गैलस सोनेराटी*), भारतीय मोर (*पावो*

क्रिस्टेटस), लेसर विहस्लिंग कबूतर (डेंड्रोसीग्रा जावानिका), भारतीय स्पॉट-बिलड कबूतर (एनास पॉलीसिलोरिन्चा), उत्तरी शोवेलेर (अनस क्लाइपेटा) पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में 30 ग्रामों/बस्तियों के साथ 19 बाड़े शामिल हैं और ज्वालागिरि रिज़र्व वन (अभयारण्य के पश्चिमी भाग में स्थित) में संपूर्ण चेन्नामालम राजस्व ग्राम दक्षिण भारत के प्रमुख हाथी गलियारों में से एक है;

और, कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के निकटवर्ती क्षेत्र के अलावा 1 किलोमीटर (समरूप) के साथ विस्तृत है जहां तमिलनाडु राज्य में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर चेन्नामालम राजस्व ग्राम में शून्य और 1.75 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) कर्नाटक राज्य के निकटवर्ती क्षेत्र के अलावा 1 किलोमीटर (समरूप) के साथ विस्तृत है जहां कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर चेन्नामालम राजस्व ग्राम में शून्य और 1.75 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 301.934 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करने वाले संरक्षित क्षेत्र के मानचित्र उपाबंध-IIक से उपाबंध-II ड में दिए गए हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध III की सारणी क और ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध IV के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग;

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/ जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) *वन्यजीव अभयारण्य* की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि *वन्यजीव अभयारण्य* की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम (का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाईयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | वर्णन |
|---------------------------------|---|---|
| अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप | | |
| 1. | वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां। | (क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी। |
| 2. | प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 3. | बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 4. | किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 5. | प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 6. | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| 7. | ईट भट्टों की स्थापना करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| आ. विनियमित क्रियाकलाप | | |
| 8. | वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना। | पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा। |
| 9. | संनिर्माण क्रियाकलाप। | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परन्तु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित |

| | | |
|-----|---|---|
| | | संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे। |
| 10. | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। | फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। |
| 11. | वृक्षों की कटाई। | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे। |
| 12. | वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। |
| 13. | फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। |
| 14. | विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के विछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के विछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा। |
| 15. | नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं। | न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। |
| 16. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण। | न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। |
| 17. | पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। |
| 18. | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | |
| 19. | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित । |
| 20. | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन । | स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात । |
| 21. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण । | जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा। |
| 22. | सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण । | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 23. | खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए । | सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और निगरानी रखती । |
| 24. | ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 25. | विदेशी प्रजातियों को लाना । | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 26. | पोलिथीन बैगों का उपयोग । | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 27. | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग । | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 28. | धार्मिक पर्यटन। | (i) बाड़े के रूप में होने वाले मंदिर क्षेत्र में, सभी क्रियाकलापों को जो कि ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण के कारण विनियमित किया जा सकता है। (ii) सभी क्रियाकलापों को जो कि ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण के कारण विनियमित किया जा सकता है। (iii) यात्रा स्थल की वहन क्षमता के आधार पर तीर्थयात्रियों की संख्या, यात्रा के समय को विनियमित किया जाएगा। त्योहार के दिनों में नियमों को शिथिल किया जाता है। |
| 29. | पटाखे का उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 30. | लकड़ी के कोयले का जलना। | लागू विधियों के अधीन प्रजनन और प्रवासी ऋतुओं के दौरान विनियमित होगा । |
| 31. | पारिस्थितिकी पर्यटन। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे । |
| इ. संवर्धित क्रियाकलाप | | |
| 32. | वर्षा जल संचयन । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 33. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 34. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 35. | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| | कारीगर भी हैं। | |
| 36. | नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग। | बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है। |
| 37. | कृषि वानिकी। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 38. | पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 39. | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 40. | निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 41. | पर्यावरणीय जागरुकता। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

| क्र.सं. | मानीटरी समिति का संघटक | पदनाम |
|---------|---|----------|
| 1. | जिला कलेक्टर, कृष्णागिरि | अध्यक्ष; |
| 2. | जिला राजस्व अधिकारी, कृष्णागिरि | सदस्य; |
| 3. | राजस्व मंडल अधिकारी / उप कलेक्टर, होसुर | सदस्य; |
| 4. | उप निदेशक, भूविज्ञान, खान और खनिज, कृष्णागिरि | सदस्य; |
| 5. | जिला पर्यावरण अभियंता, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृष्णागिरि | सदस्य; |
| 6. | राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| 7. | राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैवविविधता का एक विशेषज्ञ | सदस्य; |
| 8. | पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा | सदस्य; |
| 9. | राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 10. | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| 11. | प्रभागीय वन अधिकारी, आईएफएफ विभाग, कृष्णागिरि | सदस्य; |
| 12. | तमिलनाडु जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड, कृष्णागिरि जिला | सदस्य; |
| 13. | जिला वन अधिकारी, होसुर वन प्रभाग, होसुर | सदस्य सचिव। |

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/34/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1


संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

| | |
|--------------|---|
| उत्तर पश्चिम | पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कृष्णागिरि जिला, देनकनईकोट्टई तालुका के जवालगिरि श्रेणी के थली एक्सटेंशन रिज़र्व वन के उत्तर पूर्वी कोण से आरंभ होती है। सीमा कर्नाटक-तमिलनाडु अंतरराज्यीय सीमा के साथ थली रिज़र्व वन के पश्चिमी परम सीमा बिंदु पहुँच कर थली एक्सटेंशन रिज़र्व वन के उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त थली रिज़र्व वन की दक्षिणी परम सीमा पहुँच कर कर्नाटक-तमिलनाडु अंतरराज्यीय सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद यह पूर्वी दिशा में मुड़कर और बिलालम के थली गलियारा ग्रामों से मिलती है और इसके बाद रेखा चिक्का अवेराहली ग्राम की सीमा के निकट उत्तरी दिशा में पुनः जाती है, इसके बाद यह अचुबलु राजस्व ग्राम की सीमा के साथ विस्तृत है और रेखा पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर गिजानाकुप्पे ग्राम की सीमा से मिलती है, इसके बाद यह मुड़कर और उत्तरी दिशा की ओर विस्तृत है और ओदारपलायम ग्राम में मिलती है, इसके बाद रेखा इसी तरह क्रमशः मिलती है और ओसुर, गंगनाहली ग्रामों की सीमा के साथ जाती है और आखिरकार यह थली एक्सटेंशन रिज़र्व वन के आरंभिक बिंदु से मिलती है। |
| उत्तर | सीमा नेलुमर आगराहरम से आरंभ होकर और जवालागिरि रिज़र्व वनों की दक्षिणी दिशा की ओर विस्तृत है। इसके बाद यह अनाईकराई, पंचुमनदोद्दी, जवालागिरि के ग्रामों से होते हुए जाती है और मरागाट्टादोद्दी से मिलती है। यह इसके अतिरिक्त कुलसनदोद्दी, थेरविदी, नचीपल्ली, कलुबालम, गेरागुरा, बोलाराई से होते हुए पुनः जाती है और यह पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और पेलमनदोद्दी ग्राम सीमा की ओर विस्तृत है। यह इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर कुन्दुकोट्टई ग्राम से मिलती है और इसके अतिरिक्त अरुलल्लाम से होते हुए पुनः जाती है और गोनामकनापल्ली (पनाई रिज़र्व वन) से मिलती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी दिशा की ओर मुड़कर और सिवानापल्ली, मचान्दिराम से होते हुए जाती है और पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और बेलालम ग्राम से मिलती है और इसके बाद यह मेलुर ग्राम (गुलाटी रिज़र्व वन) से मिलती है। सीमा उत्तरी दिशा की ओर और अयुर, अरासजुर, कमासन्दीराम, दिब्बानुर तक विस्तृत है और थिप्पासन्दीराम ग्राम (अयुर एक्सटेंशन) से मिलती है। यह इसके अतिरिक्त उत्तर की ओर जाती है और बसवानाहल्ली, बलेगुली, नरप्पानाहट्टी, गुलाटी से होते हुए जाती है और आखिरकार यह लक्ष्मीपुरम ग्राम (उदेदुरगम रिज़र्व वन) से मिलती है। |

| | |
|---------------|--|
| उत्तर पूर्व | सीमा लक्ष्मीपुरम ग्राम से आरंभ होती है, इसके अतिरिक्त यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर विस्तृत है और कुदुर, गविपुरम, उ. पुरम, गुरुबरापली से होते हुए जाती है और पवादारापट्टी ग्राम से मिलती है, इसके बाद यह दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर और आखिरकार नेरुपुगुट्टाई ग्राम (उदेदुरगम रिज़र्व वन) की सीमा से मिलती है। |
| पूर्व | सीमा नेरुपुगुट्टाई से आरंभ होती है और दक्षिणी दिशा के नीचे की ओर विस्तृत है और जलाथिम्माहल्ली, पंचापली, एरी पंचापली, पारियानुर, कुरुमवारकोट्टाई, अथिमुटलु, अगराम, बेम्माहल्ली, सिंगामपट्टी की ग्राम सीमाओं से होते हुए पार करती है और अंत में पुदुर ग्राम (गलीगट्टाम रिज़र्व वन) जाती है। |
| दक्षिण पूर्व | सीमा पुदुर ग्राम से आरंभ होती है और पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर और मोराप्पुर रिज़र्व वन के निकट उचिकल मलाई से मिलती है, इसके बाद यह दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर उचिकल मलाई, अलेगेट्टु बाड़ा से होते हुए जाती है, आखिरकार यह गुटिरयान रिज़र्व वन में गुटिरयान मलाई के निकट मिलती है। |
| दक्षिण | सीमा गुटिरयान रिज़र्व वन से आरंभ होती है और पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर और रेखा बिलिगुंदुलु रिज़र्व वन से होते हुए जाती है और सिवालिंगापुरम के संलग्न ग्राम से मिलती है, इसके बाद यह गेरट्टी ग्राम सीमा से होते हुए और अंत में शेषाराजापुरम ग्राम (अंचेट्टी रिज़र्व वन) जाती है। |
| दक्षिण पश्चिम | सीमा शेषाराजापुरम ग्राम से आरंभ होती है और उबरानी रिज़र्व वन से होते हुए पार करके उत्तरी दिशा की ओर विस्तृत है और अंत में उबरानी रिज़र्व वन (अंचेट्टी संलग्न सीमा) की उत्तरी सीमा जाती है। |
| पश्चिम | सीमा नसी गुट्टाई, अंचेट्टी, कसालापट्टी और मरीयालम ग्रामों से होते हुए जाती है और होसादोद्दी ग्राम से मिलती है और उलीबंदा रिज़र्व वन की सीमा रेखा से होते हुए जाती है। इसके अतिरिक्त रेखा पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर और करादीकल, गोल्लापली, होसादोद्दी, मदाक्काल, सुलाकुन्दा, मंजीकेरे ग्रामों से होते हुए जाती है और नंदीमंगलम राजस्व ग्राम पहुँचती है। सीमा इसके अतिरिक्त पश्चिमी दिशा की ओर विस्तृत है और केवारादोद्दी ग्राम से मिलती है। यहाँ से, सीमा इसके अतिरिक्त जवालागिरि रिज़र्व वन की पश्चिमी सीमा के साथ होते हुए जाती है। सीमा इसके अतिरिक्त चेन्नामलम ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ पुनः जाती है और पुनः जवालागिरि रिज़र्व वन की सीमा के साथ जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर की ओर विस्तृत है और केमपथापली, गुरुसथाप्पानदोद्दी के ग्राम थली गलियारे से होते हुए जाती है और आखिरकार अंत में थली रिज़र्व वन की दक्षिणी परम सीमा जाती है। |


उपाबंध-IIक

कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-IIख

कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




उपाबंध-IIघ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-
उपयोग मानचित्र



उपाबंध-IIड

मुख्य अवस्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थान के अक्षांश-देशांतर

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1(एस1) | अभयारण्य के उत्तरपश्चिम बिंदु - "शून्य बिंदु" | 12° 41' 2.819" | 77° 39' 45.078" |
| 2 | 2 | उत्तरपश्चिम | 12° 40' 52.084" | 77° 39' 10.010" |
| 3 | 3 | उत्तरपश्चिम | 12° 40' 44.212" | 77° 38' 37.089" |
| 4 | 4 | उत्तरपश्चिम | 12° 40' 34.192" | 77° 37' 59.158" |
| 5 | 5 | उत्तरपश्चिम | 12° 40' 18.448" | 77° 37' 0.473" |
| 6 | 6 (एस 39) | उत्तरपश्चिम | 12° 40' 0.556" | 77° 35' 58.209" |
| 7 | 7 | उत्तरपश्चिम | 12° 38' 59.008" | 77° 35' 47.474" |
| 8 | 8 | उत्तरपश्चिम | 12° 38' 32.528" | 77° 36' 1.788" |
| 9 | 9 | उत्तरपश्चिम | 12° 38' 6.048" | 77° 36' 10.376" |
| 10 | 10 | उत्तरपश्चिम | 12° 37' 18.813" | 77° 35' 42.465" |
| 11 | 11 | उत्तरपश्चिम | 12° 36' 24.422" | 77° 35' 30.298" |
| 12 | 12 | उत्तरपश्चिम | 12° 35' 32.178" | 77° 35' 23.141" |
| 13 | 13 (एस 38) | उत्तरपश्चिम | 12° 34' 21.326" | 77° 34' 45.926" |
| 14 | 14 (एस 5) | उत्तरपश्चिम - थली रिज़र्व वन | 12° 33' 2.602" | 77° 34' 50.936" |
| 15 | 15 | उत्तरपश्चिम | 12° 33' 53.415" | 77° 35' 33.876" |
| 16 | 16 | उत्तरपश्चिम | 12° 34' 55.679" | 77° 36' 3.935" |
| 17 | 17 | उत्तरपश्चिम | 12° 35' 58.658" | 77° 36' 9.660" |
| 18 | 18 | उत्तरपश्चिम | 12° 35' 47.207" | 77° 36' 50.454" |
| 19 | 19 | उत्तरपश्चिम | 12° 35' 55.079" | 77° 37' 37.688" |
| 20 | 20 | उत्तरपश्चिम | 12° 36' 48.039" | 77° 37' 52.002" |
| 21 | 21 (एस 4) | उत्तरपश्चिम - थली रिज़र्व वन | 12° 37' 38.852" | 77° 37' 34.110" |
| 22 | 22 | उत्तरपश्चिम | 12° 38' 13.920" | 77° 38' 17.766" |
| 23 | 23 (एस 3) | उत्तरपश्चिम - थली रिज़र्व वन | 12° 38' 59.008" | 77° 38' 39.952" |
| 24 | 24 (एस 2) | उत्तरपश्चिम - थली रिज़र्व वन | 12° 39' 49.105" | 77° 39' 2.138" |
| 25 | 25 (एस 8) | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 32' 40.416" | 77° 37' 11.924" |
| 26 | 26 | उत्तर | 12° 32' 10.358" | 77° 36' 37.571" |
| 27 | 27 (एस 7) | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 32' 2.485" | 77° 36' 14.670" |
| 28 | 28 | उत्तर | 12° 31' 30.280" | 77° 36' 8.229" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 29 | 29 (एस 6) | उत्तर -जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 31' 20.976" | 77° 35' 30.298" |
| 30 | 30 (एस 36) | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 30' 59.506" | 77° 35' 12.406" |
| 31 | 31 (एस 35) | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 30' 53.065" | 77° 36' 41.865" |
| 32 | 32 (एस 34) | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 30' 32.311" | 77° 36' 56.179" |
| 33 | 33 | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 43.645" | 77° 36' 3.219" |
| 34 | 34 (एस 33) | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 28' 28.499" | 77° 36' 17.533" |
| 35 | 35 (एस 32) | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 47.223" | 77° 37' 35.541" |
| 36 | 36 (एस 31) | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 28' 5.597" | 77° 37' 51.286" |
| 37 | 37 | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 28' 4.882" | 77° 38' 14.903" |
| 38 | 38 | पश्चिम-जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 28' 15.617" | 77° 38' 51.402" |
| 39 | 39 | पश्चिम - पनाई | 12° 27' 14.069" | 77° 38' 52.118" |
| 40 | 40 | पश्चिम - पनाई | 12° 26' 19.678" | 77° 39' 22.176" |
| 41 | 41 | पश्चिम - पनाई | 12° 25' 41.747" | 77° 40' 6.548" |
| 42 | 42 | पश्चिम - पनाई | 12° 25' 0.953" | 77° 40' 54.498" |
| 43 | 43 | पश्चिम - पनाई | 12° 24' 8.709" | 77° 41' 26.704" |
| 44 | 44 | पश्चिम - पनाई | 12° 23' 47.239" | 77° 42' 40.418" |
| 45 | 45 (एस 30) | पश्चिम पनाई एक्सटेंशन के समीप रिज़र्व वन | 12° 24' 10.141" | 77° 42' 54.016" |
| 46 | 46 | पश्चिम - पनाई | 12° 23' 30.063" | 77° 43' 27.653" |
| 47 | 47 | पश्चिम - पनाई | 12° 22' 44.975" | 77° 43' 42.682" |
| 48 | 48 | पश्चिम - पनाई | 12° 22' 39.250" | 77° 44' 8.446" |
| 49 | 49 (एस 29) | पश्चिम - पनाई | 12° 22' 14.917" | 77° 43' 44.113" |
| 50 | 50 | पश्चिम - पनाई | 12° 21' 36.986" | 77° 44' 22.044" |
| 51 | 51 | पश्चिम - पनाई | 12° 21' 34.839" | 77° 44' 53.534" |
| 52 | 52 | पश्चिम - पनाई | 12° 21' 1.918" | 77° 45' 8.563" |
| 53 | 53 | पश्चिम - अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 20' 16.831" | 77° 45' 2.837" |
| 54 | 54 (एस 28) | पश्चिम - अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 20' 21.841" | 77° 44' 8.446" |
| 55 | 55 | दक्षिणपश्चिम - अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 19' 20.293" | 77° 44' 12.024" |
| 56 | 56 | दक्षिणपश्चिम - अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 18' 6.578" | 77° 43' 32.662" |
| 57 | 57 | दक्षिणपश्चिम - अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 17' 22.206" | 77° 43' 56.280" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 58 | 58 (एस 27) | दक्षिणपश्चिम – अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 16' 27.099" | 77° 44' 7.015" |
| 59 | 59 | दक्षिणपश्चिम – अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 16' 42.129" | 77° 45' 14.288" |
| 60 | 60 | दक्षिण-अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 16' 54.295" | 77° 46' 14.405" |
| 61 | 61 (एस 26) | दक्षिण-अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 17' 17.197" | 77° 47' 0.923" |
| 62 | 62 | दक्षिण-अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 16' 54.295" | 77° 47' 30.982" |
| 63 | 63 | दक्षिण-अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 16' 39.266" | 77° 48' 23.942" |
| 64 | 64 | दक्षिण-अंचेट्टी रिज़र्व वन | 12° 16' 34.972" | 77° 48' 58.294" |
| 65 | 65 (एस 25) | दक्षिण केम्पाकराई रिज़र्व वन | 12° 15' 42.728" | 77° 49' 16.186" |
| 66 | 66 | दक्षिण केम्पाकराई रिज़र्व वन | 12° 14' 53.346" | 77° 49' 44.813" |
| 67 | 67 | दक्षिण केम्पाकराई रिज़र्व वन | 12° 15' 18.395" | 77° 50' 22.028" |
| 68 | 68 | दक्षिण- गुतिरायन रिज़र्व वन | 12° 15' 45.590" | 77° 50' 51.371" |
| 69 | 69 (एस 24) | दक्षिण – गुतिरायन रिज़र्व वन | 12° 15' 15.532" | 77° 51' 34.311" |
| 70 | 70 | दक्षिण पूर्व- गुतिरायन रिज़र्व वन | 12° 16' 11.355" | 77° 52' 4.369" |
| 71 | 71 (एस 23) | दक्षिण पूर्व- गुतिरायन रिज़र्व वन | 12° 17' 17.912" | 77° 52' 25.124" |
| 72 | 72 | दक्षिण पूर्व – थोलुवबेट्टा एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 18' 26.617" | 77° 52' 25.124" |
| 73 | 73 | दक्षिण पूर्व – थोलुवबेट्टा एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 19' 27.449" | 77° 52' 17.967" |
| 74 | 74 | दक्षिण पूर्व – गैलिगट्टम रिज़र्व वन | 12° 20' 8.243" | 77° 52' 42.300" |
| 75 | 75 | दक्षिण पूर्व – गैलिगट्टम रिज़र्व वन | 12° 20' 1.086" | 77° 53' 37.407" |
| 76 | 76 | दक्षिण पूर्व – गैलिगट्टम रिज़र्व वन | 12° 19' 36.037" | 77° 54' 25.357" |
| 77 | 77 | दक्षिण पूर्व – गैलिगट्टम रिज़र्व वन | 12° 19' 31.028" | 77° 55' 31.915" |
| 78 | 78 (एस 21) | दक्षिण पूर्व – गैलिगट्टम रिज़र्व वन | 12° 19' 52.498" | 77° 55' 56.248" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 79 | 79 | पूर्व- गैलिंगट्टम रिज़र्व वन | 12° 20' 18.978" | 77° 56' 54.217" |
| 80 | 80 (एस 20) | पूर्व- गैलिंगट्टम | 12° 21' 10.506" | 77° 57' 27.138" |
| 81 | 81 | पूर्व - मरंदहल्ली रिज़र्व वन | 12° 22' 12.770" | 77° 57' 7.099" |
| 82 | 82 | पूर्व - मरंदहल्ली रिज़र्व वन | 12° 22' 42.828" | 77° 57' 29.285" |
| 83 | 83 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 23' 9.308" | 77° 57' 29.285" |
| 84 | 84 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 24' 7.994" | 77° 58' 6.500" |
| 85 | 85 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 25' 13.836" | 77° 57' 56.481" |
| 86 | 86 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 26' 1.786" | 77° 57' 27.854" |
| 87 | 87 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 26' 37.569" | 77° 56' 49.208" |
| 88 | 88 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 27' 9.775" | 77° 56' 30.600" |
| 89 | 89 | पूर्व - मरंदहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 28' 10.607" | 77° 56' 9.130" |
| 90 | 90 | पूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 28' 59.273" | 77° 55' 39.071" |
| 91 | 91 | पूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 28' 39.234" | 77° 56' 30.600" |
| 92 | 92 | पूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 29' 10.008" | 77° 56' 47.061" |
| 93 | 93 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 29' 32.910" | 77° 57' 16.403" |
| 94 | 94 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 30' 23.722" | 77° 56' 56.364" |
| 95 | 95 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 30' 12.987" | 77° 57' 43.599" |
| 96 | 96 (एस 19) | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 30' 54.496" | 77° 58' 22.961" |
| 97 | 97 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 31' 31.711" | 77° 57' 54.334" |
| 98 | 98 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 13.221" | 77° 57' 12.109" |
| 99 | 99 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 12.505" | 77° 56' 24.875" |
| 100 | 100 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 31' 30.280" | 77° 56' 18.434" |
| 101 | 101 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 9.642" | 77° 55' 52.669" |
| 102 | 102 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 1.054" | 77° 55' 16.170" |
| 103 | 103 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 1.770" | 77° 54' 41.818" |
| 104 | 104 | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 19.662" | 77° 54' 14.622" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 105 | 105 (एस 18) | उत्तरपूर्व - उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 37.553" | 77° 53' 39.554" |
| 106 | 106 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 32' 11.789" | 77° 52' 50.172" |
| 107 | 107 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 31' 38.153" | 77° 52' 50.888" |
| 108 | 108 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 31' 6.663" | 77° 53' 18.084" |
| 109 | 109 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 30' 30.879" | 77° 52' 51.604" |
| 110 | 110 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 30' 12.987" | 77° 52' 22.977" |
| 111 | 111 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 29' 51.517" | 77° 52' 0.791" |
| 112 | 112 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 29' 15.733" | 77° 52' 0.075" |
| 113 | 113 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 28' 57.126" | 77° 52' 41.584" |
| 114 | 114 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 28' 59.273" | 77° 53' 24.525" |
| 115 | 115 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 29' 28.616" | 77° 53' 53.867" |
| 116 | 116 | उत्तर- उदेदुर्गम रिज़र्व वन | 12° 29' 10.724" | 77° 54' 23.210" |
| 117 | 117 | उत्तर- मारंदाहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 28' 32.077" | 77° 53' 56.730" |
| 118 | 118 | उत्तर- मारंदाहल्ली एक्सटेंशन रिज़र्व वन | 12° 28' 12.754" | 77° 53' 10.211" |
| 119 | 119 | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 27' 57.009" | 77° 52' 25.124" |
| 120 | 120 (एस 17) | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 27' 59.156" | 77° 51' 14.272" |
| 121 | 121 | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 27' 22.657" | 77° 51' 32.164" |
| 122 | 122 | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 26' 48.305" | 77° 51' 32.880" |
| 123 | 123 | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 26' 28.981" | 77° 51' 59.360" |
| 124 | 124 | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 25' 27.433" | 77° 51' 49.340" |
| 125 | 125 (एस 16) | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 25' 5.247" | 77° 51' 14.988" |
| 126 | 126 (एस 15) | उत्तर- अयुर एक्सटेंशन । रिज़र्व वन | 12° 24' 8.709" | 77° 51' 2.106" |
| 127 | 127 | उत्तर - गुल्लाट्टी रिज़र्व वन | 12° 24' 23.023" | 77° 50' 12.008" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 128 | 128 | उत्तर – गुल्लाट्टी रिज़र्व वन | 12° 24' 45.924" | 77° 49' 17.617" |
| 129 | 129 (एस 14) | उत्तर – गुल्लाट्टी रिज़र्व वन | 12° 25' 26.718" | 77° 48' 27.520" |
| 130 | 130 | उत्तर – गुल्लाट्टी रिज़र्व वन | 12° 25' 5.247" | 77° 47' 55.315" |
| 131 | 131 | उत्तर – गुल्लाट्टी रिज़र्व वन | 12° 24' 2.268" | 77° 47' 26.688" |
| 132 | 132 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 23' 9.308" | 77° 46' 28.718" |
| 133 | 133 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 23' 29.347" | 77° 45' 45.778" |
| 134 | 134 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 24' 14.435" | 77° 45' 33.611" |
| 135 | 135 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 24' 54.512" | 77° 45' 3.553" |
| 136 | 136 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 24' 37.336" | 77° 44' 3.436" |
| 137 | 137 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 25' 1.669" | 77° 43' 36.956" |
| 138 | 138 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 25' 51.051" | 77° 43' 36.956" |
| 139 | 139 (एस 12) | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 36.138" | 77° 43' 27.653" |
| 140 | 140 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 31.128" | 77° 42' 50.438" |
| 141 | 141 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 56.177" | 77° 42' 36.124" |
| 142 | 142 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 17.531" | 77° 41' 56.046" |
| 143 | 143 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 32.560" | 77° 41' 31.713" |
| 144 | 144 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 30.413" | 77° 40' 59.508" |
| 145 | 145 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 26' 52.599" | 77° 40' 32.312" |
| 146 | 146 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 27' 11.922" | 77° 40' 7.264" |
| 147 | 147 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 27' 40.549" | 77° 40' 5.833" |
| 148 | 148 | उत्तर – पनाई रिज़र्व वन | 12° 27' 59.872" | 77° 39' 36.490" |
| 149 | 149 (एस 11) | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 28' 25.636" | 77° 39' 42.215" |
| 150 | 150 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 12.871" | 77° 39' 17.882" |
| 151 | 151 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 20.027" | 77° 39' 55.097" |
| 152 | 152 (एस 10) | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 50.086" | 77° 40' 5.833" |
| 153 | 153 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 35.772" | 77° 39' 34.343" |
| 154 | 154 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 29' 52.233" | 77° 39' 19.314" |
| 155 | 155 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 30' 23.007" | 77° 39' 21.461" |
| 156 | 156 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 30' 30.879" | 77° 38' 39.952" |
| 157 | 157 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 30' 55.928" | 77° 38' 19.913" |
| 158 | 158 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 31' 34.574" | 77° 38' 10.609" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु के अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 159 | 159 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 31' 56.044" | 77° 37' 52.717" |
| 160 | 160 | उत्तर - जवालागिरि रिज़र्व वन | 12° 32' 5.348" | 77° 37' 21.228" |

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु का अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | पश्चिम-नंदीमंगलम ग्राम | 12°27'32" | 77°38'24" |
| 2 | 2 | डोम्बाकल्लू के समीप, उलीबंद रिज़र्व वन की पश्चिमी सीमा | 12°26'33" | 77°38'29" |
| 3 | 3 | पश्चिम -सूलकुंटा ग्राम | 12°25'44" | 77°39'11" |
| 4 | 4 | पश्चिम - मदक्कल से सुलकुंटा रोड के समीप | 12°25'18" | 77°39'45" |
| 5 | 5 | पश्चिम - होसाडोडी ग्राम और उलीबंडा रिज़र्व वन के मध्य की पूर्वी सीमा | 12°24'36" | 77°40'22" |
| 6 | 6 | पश्चिम-कारडिक्कल ग्राम सड़क बिंदु | 12°23'43" | 77°41'11" |
| 7 | 7 | पश्चिम-मारीयालम्बेटा राजस्व पहाड़ी | 12°23'15" | 77°41'57" |
| 8 | 8 | पश्चिम-मारीयालम ग्राम की सीमा | 12°23'15" | 77°42'57" |
| 9 | 9 | पश्चिम-मारीयालम्बेटा राजस्व भूमि | 12°22'26" | 77°43'12" |
| 10 | 10 | पश्चिम -अंचेट्टी ग्राम | 12°21'42" | 77°43'38" |
| 11 | 11 | पश्चिम - तमासेनपल्ली ग्राम के समीप | 12°20'47" | 77°44'33" |
| 12 | 12 (क्यू) | पश्चिम-उबरानी रिज़र्व वन की सीमा के समीप | 12°20'35" | 77°43'37" |
| 13 | 13 | दक्षिणपश्चिम - उबरानी रिज़र्व वन | 12°19'26" | 77°43'37" |
| 14 | 14 | दक्षिणपश्चिम - उबरानी रिज़र्व वन | 12°18'19" | 77°43'2" |
| 15 | 15 | दक्षिणपश्चिम - उबरानी रिज़र्व वन | 12°17'12" | 77°43'27" |
| 16 | 16 | दक्षिणपश्चिम - उबरानी रिज़र्व वन | 12°16'4" | 77°43'44" |
| 17 | 17 (पी) | दक्षिणपश्चिम - | 12°16'13" | 77°44'45" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु का अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | सेसुराजपुरम ग्राम के समीप | | |
| 18 | 18 | दक्षिण - ईथाकिनारू राजस्व भूमि के समीप | 12°16'18" | 77°46'7" |
| 19 | 19 | दक्षिण - बिलिंगंडुलु रिज़र्व वन | 12°16'33" | 77°47'0" |
| 20 | 20 | दक्षिण - बिलिंगंडुलु रिज़र्व वन | 12°16'24" | 77°47'50" |
| 21 | 21 | दक्षिण - बिलिंगंडुलु रिज़र्व वन | 12°16'6" | 77°48'32" |
| 22 | 22 | दक्षिण - बिलिंगंडुलु रिज़र्व वन | 12°15'15" | 77°49'2" |
| 23 | 23 | दक्षिण - गीतिरायन रिज़र्व वन | 12°14'20" | 77°49'38" |
| 24 | 24 | दक्षिण - गीतिरायन रिज़र्व वन | 12°15'10" | 77°50'59" |
| 25 | 25 | दक्षिणपूर्व - मोरप्पुर रिज़र्व वन | 12°15'28" | 77°52'24" |
| 26 | 26 | दक्षिणपूर्व - मोरप्पुर रिज़र्व वन | 12°16'43" | 77°52'44" |
| 27 | 27 | दक्षिणपूर्व - मोरप्पुर रिज़र्व वन | 12°18'7" | 77°53'2" |
| 28 | 28 (एन) | दक्षिणपूर्व - मोरप्पुर रिज़र्व वन | 12°19'25" | 77°52'52" |
| 29 | 29 | दक्षिणपूर्व - मोरप्पुर रिज़र्व वन | 12°19'19" | 77°53'50" |
| 30 | 30 | दक्षिणपूर्व - पुडुर ग्राम की सीमा | 12°19'7" | 77°54'50" |
| 31 | 31 (एम) | दक्षिणपूर्व - गलीगट्टम रिज़र्व वन, धर्मपुरी प्रभाग के समीप | 12°19'23" | 77°56'31" |
| 32 | 32 | पूर्व - सिंगमपट्टी ग्राम की सीमा | 12°20'22" | 77°57'28" |
| 33 | 33 | पूर्व - बेममहल्ली से अगारम ग्रामों के मध्य | 12°21'42" | 77°57'55" |
| 34 | 34 | पूर्व - अथिमुतलु ग्राम की सीमा | 12°22'57" | 77°58'11" |
| 35 | 35 (एल) | पूर्व - कुरुम्बारकोट्टई के बीच पेरियानुर ग्रामों के मध्य | 12°24'15" | 77°58'47" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु का अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 36 | 36 | पूर्व - चिनार नदी के समीप | 12°25'28" | 77°58'27" |
| 37 | 37 | पूर्व - एरिपंचपल्ली ग्राम के समीप | 12°26'27" | 77°57'53" |
| 38 | 38 | पूर्व - चिनार नदी | 12°27'1" | 77°57'21" |
| 39 | 39 | पूर्व - जलथिम्मानाल्ली ग्राम के समीप | 12°27'41" | 77°56'53" |
| 40 | 40 | पूर्व - जलथिम्मानाल्ली ग्राम के समीप | 12°28'11" | 77°56'45" |
| 41 | 41 | पूर्व - कराहल्ली ग्राम के समीप | 12°28'37" | 77°57'10" |
| 42 | 42 | उत्तरपूर्व - उबेडुर्गम रिज़र्व वन का पूर्वी भाग | 12°28'57" | 77°57'45" |
| 43 | 43 | उत्तरपूर्व - नेरुप्पुकुट्टाई ग्राम | 12°29'38" | 77°57'48" |
| 44 | 44 | उत्तरपूर्व - उबेडुर्गम रिज़र्व वन का पूर्वी भाग | 12°30'6" | 77°58'38" |
| 45 | 45 | उत्तरपूर्व - उबेडुर्गम रिज़र्व वन का पूर्वी भाग | 12°31'5" | 77°58'54" |
| 46 | 46 | उत्तरपूर्व - वेप्पलहल्ली ग्राम के समीप | 12°31'25" | 77°58'30" |
| 47 | 47 | उत्तरपूर्व - उल्लाट्टी से पावदरापट्टी ग्रामों के मध्य रेलवे ट्रैक | 12°31'55" | 77°58'13" |
| 48 | 48 | उत्तरपूर्व - पावदरापट्टी ग्राम के समीप रेलवे ट्रैक | 12°32'32" | 77°57'43" |
| 49 | 49 | उत्तरपूर्व - कुरुबुरपल्ली ग्राम के समीप | 12°32'51" | 77°56'46" |
| 50 | 50 | उत्तरपूर्व - यू. पुरम ग्राम | 12°32'43" | 77°56'3" |
| 51 | 51 | उत्तरपूर्व - कदुर ग्राम के समीप | 12°32'37" | 77°54'59" |
| 52 | 52 | उत्तरपूर्व - कदुर ग्राम के निकट | 12°33'0" | 77°54'14" |
| 53 | 53 | उत्तरपूर्व - कलिनायनाहल्ली ग्राम के समीप | 12°33'10" | 77°53'26" |
| 54 | 54 (के) | उत्तरपूर्व - कलिनायनाहल्ली ग्राम के समीप | 12°32'48" | 77°53'2" |
| 55 | 55 | उत्तरपूर्व - लक्ष्मीपुरम् | 12°32'28" | 77°52'23" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु का अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | ग्राम | | |
| 56 | 56 | उत्तर - डेनकिकोट्टाई एक्सटेंशन आर एफ सीमा | 12°31'33" | 77°52'15" |
| 57 | 57 | उत्तर - बेवनाथम ग्राम के समीप | 12°30'48" | 77°52'20" |
| 58 | 58 | उत्तर - डेनकिकोट्टाई रिज़र्व वन सीमा | 12°30'6" | 77°51'28" |
| 59 | 59 | उत्तर - बेददाबलेगुली ग्राम के समीप | 12°29'8" | 77°51'27" |
| 60 | 60(जे) | उत्तर - ताडीक्काल ग्राम | 12°28'31" | 77°52'21" |
| 61 | 61 | उत्तर - तिप्पसन्दिरम ग्राम | 12°28'29" | 77°51'0" |
| 62 | 62 | उत्तर - थिप्पसंदिरम से हनुमानदापुरम सड़क बिंदु | 12°27'47" | 77°50'39" |
| 63 | 63 | उत्तर - हनुमानदापुरम ग्राम के समीप | 12°27'7" | 77°50'55" |
| 64 | 64 | उत्तर - कामासंदीराम ग्राम के समीप | 12°26'17" | 77°51'17" |
| 65 | 65 | उत्तर - अयूर ग्राम की सीमा | 12°25'40" | 77°51'16" |
| 66 | 66 (आई) | उत्तर - गुदीसालुर ग्राम की सीमा | 12°24'56" | 77°50'41" |
| 67 | 67 | उत्तर - बेलालम ग्राम के समीप | 12°25'10" | 77°49'39" |
| 68 | 68 | उत्तर - बेलालम से कोलत्ती ग्रामों के मध्य | 12°25'59" | 77°48'20" |
| 69 | 69 | उत्तर - मुचिन्दीराम गाँव के पास | 12°25'21" | 77°47'26" |
| 70 | 70 | उत्तर - मुचिन्दीराम गाँव के पास | 12°24'24" | 77°47'4" |
| 71 | 71 | उत्तर - सिवनहल्ली ग्राम | 12°23'51" | 77°46'45" |
| 72 | 72 | उत्तर - गोनमक्कानपल्ली ग्राम | 12°23'41" | 77°46'23" |
| 73 | 73 | उत्तर - अरुलालम ग्राम की सीमा | 12°24'23" | 77°46'11" |
| 74 | 74 | उत्तर - अरुललम और कुन्दुकोट्टा ग्रामों के मध्य | 12°25'7" | 77°45'40" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु का अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 75 | 75 | उत्तर - कुंडुकोट्टई ग्राम के समीप | 12°25'24" | 77°44'16" |
| 76 | 76 | उत्तर - होसहल्ली ग्राम के समीप | 12°26'40" | 77°44'2" |
| 77 | 77 | उत्तर - पेलमंदोडडी ग्राम के समीप | 12°27'8" | 77°43'14" |
| 78 | 78 | उत्तर - कडस्पल्ली ग्राम के समीप | 12°27'28" | 77°42'28" |
| 79 | 79 (जी) | उत्तर - लक्कसंडीराम ग्राम के समीप | 12°26'57" | 77°41'55" |
| 80 | 80 | उत्तर - बोलराई ग्राम के समीप | 12°27'9" | 77°41'14" |
| 81 | 81 | उत्तर - रामपुरम ग्राम की सीमा | 12°27'27" | 77°40'38" |
| 82 | 82 | उत्तर - गेरगुरु से कल्लुप्पलम ग्रामों के मध्य | 12°28'15" | 77°40'16" |
| 83 | 83 | उत्तर - कुरिमंदई ग्राम के समीप | 12°28'51" | 77°40'8" |
| 84 | 84 (एफ) | उत्तर - तेरविथि ग्राम के समीप | 12°29'32" | 77°40'37" |
| 85 | 85 (ई) | उत्तर - कुलसुंदोडी ग्राम | 12°30'23" | 77°40'1" |
| 86 | 86 | उत्तर - ज्वालागिरी ग्राम के समीप | 12°31'5" | 77°38'58" |
| 87 | 87 | उत्तर - पंसुमंदोडोडी ग्राम | 12°32'6" | 77°38'28" |
| 88 | 88 (सी) | उत्तर - नेल्लुमरु अग्रहारम | 12°33'9" | 77°37'39" |
| 89 | 89 | उत्तरपश्चिम - नेल्लुमरु अग्रहारम | 12°33'30" | 77°36'32" |
| 90 | 90 (बी) | उत्तरपश्चिमी - चिक्कावेरीपल्ली ग्राम | 12°33'54" | 77°36'20" |
| 91 | 91 | उत्तरपश्चिम - अचूबालु ग्राम के समीप | 12°35'13" | 77°36'39" |
| 92 | 92 | उत्तरपश्चिम - चूडासन्दिरम ग्राम | 12°35'20" | 77°37'45" |
| 93 | 93 | उत्तरपश्चिम - सुदासन्दिरम से ओदारपलायम ग्राम के मध्य | 12°36'19" | 77°38'17" |

| क्र. सं. | प्रमुख बिंदुओं की पहचान | प्रमुख बिंदु का अवस्थान/ दिशा | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 94 | 94 | उत्तरपश्चिम - ओडपलायम ग्राम के समीप | 12°37'14" | 77°38'17" |
| 95 | 95 | उत्तरपश्चिम - ओसुर ग्राम के समीप | 12°37'59" | 77°38'45" |
| 96 | 96 | उत्तरपश्चिम - गुमलापुरम ग्राम के समीप | 12°38'41" | 77°39'11" |
| 97 | 97 | उत्तरपश्चिम - गुमलापुरम ग्राम के समीप | 12°39'31" | 77°39'41" |
| 98 | 98 (ए) | उत्तरपश्चिम - थली एक्सटेंशन रिज़र्व वन के सीमा बिंदु के उत्तर पूर्वी कोण | 12°40'46" | 77°40'14" |
| 99 | 99 | पश्चिम - चेन्नामलम ग्राम | 12°29'3" | 77°35'31" |
| 100 | 100 (ई एस) | पश्चिम - चेन्नामलम ग्राम | 12°28'39" | 77°35'4" |
| 101 | 101 | पश्चिम - चेन्नामलम ग्राम | 12°28'26" | 77°35'49" |
| 102 | 102 | पश्चिम - चेन्नामलम ग्राम | 12°28'28" | 77°36'17" |
| 103 | 103 (आर) | पश्चिम - उलिबंडा रिज़र्व वन के समीप | 12°27'34" | 77°37'48" |

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | केमपकेराई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°16'18.88" | 77°49'38.34" |
| 2 | शेशराजापुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°16'13.72" | 77°44'38.16" |
| 3 | शिवलिंगापुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°16'27.19" | 77°46'35.56" |
| 4 | गेरहाट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°16'35.74" | 77°46'14.53" |
| 5 | कोदागेराई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°17'12.51" | 77°51'43.76" |
| 6 | दोद्दीयुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°17'24.35" | 77°51'11.12" |
| 7 | नयाक्कान किनारु | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°17'34.11" | 77°46'52.51" |
| 8 | गलीगुद्दाई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°17'45.97" | 77°49'5.41" |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 9 | कराकनहट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°17'49.59" | 77°51'30.02" |
| 10 | कोचीयुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'4.36" | 77°51'32.78" |
| 11 | कोदागियुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'1.87" | 77°48'49.34" |
| 12 | दिम्माट्टुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'6.47" | 77°48'45.46" |
| 13 | कादुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'11.12" | 77°52'2.51" |
| 14 | कप्पुकुली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'8.47" | 77°48'11.85" |
| 15 | दोद्दुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'24.43" | 77°48'55.73" |
| 16 | मदाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'28.08" | 77°48'13.81" |
| 17 | करगुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'29.08" | 77°48'57.69" |
| 18 | मेल गिरियप्पनुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'31.23" | 77°49'5.72" |
| 19 | गुड्डेनी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'34.1" | 77°49'25.67" |
| 20 | ओन्नेपुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'34.53" | 77°48'27.97" |
| 21 | गिरियप्पनुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'43.75" | 77°48'54.58" |
| 22 | सिद्धप्पनूर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'43.4" | 77°48'27.69" |
| 23 | निलमपट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'47.48" | 77°50'57.22" |
| 24 | गोल्लामट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'45.13" | 77°45'20.84" |
| 25 | चिक्का मंची | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'56.04" | 77°48'54.51" |
| 26 | दोद्दा मंची | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'56.87" | 77°48'11.46" |
| 27 | फकीरसाहीबुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°18'57.73" | 77°47'45.83" |
| 28 | होसाहल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°19'2.69" | 77°46'29.64" |
| 29 | बेल्लाट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°19'9" | 77°49'43.91" |
| 30 | नारायणाप्पनुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°19'9.51" | 77°49'17.27" |
| 31 | दुर्गाहट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°19'8.56" | 77°47'50.19" |
| 32 | सेनकोट्टई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°20'43.31" | 77°44'52.98" |
| 33 | तमसानापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°20'42.88" | 77°44'20.08" |
| 34 | एलासमंदोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°20'52.74" | 77°51'9.48" |
| 35 | सुकलीगारबिदुगु | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'4.58" | 77°54'7.23" |
| 36 | होसाहोला | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'6.17" | 77°53'27.34" |
| 37 | बुपानुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'15.16" | 77°53'26.32" |
| 38 | हलेउर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'12.5" | 77°50'23.03" |
| 39 | कन्निकपुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'21.84" | 77°54'18.25" |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 40 | करुकाहोला | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'23.37" | 77°53'46.92" |
| 41 | बालाहोला | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'27.43" | 77°53'10.99" |
| 42 | गोलीगट्टाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'42.59" | 77°55'53.69" |
| 43 | कामगिरि | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'42.07" | 77°53'12.41" |
| 44 | टोलुवाबेट्टा | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'42.21" | 77°50'50.5" |
| 45 | बेट्टमुगलईम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'4.01" | 77°54'40.03" |
| 46 | रामरकोविल | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°21'52.39" | 77°44'2.77" |
| 47 | दसाहोला | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'5.05" | 77°52'56.5" |
| 48 | सकलापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'7.76" | 77°43'36.75" |
| 49 | दोड्डा मेलाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'20.66" | 77°52'55.31" |
| 50 | कोट्टुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'39" | 77°53'7.95" |
| 51 | टाटागेरे | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'43.64" | 77°52'30.04" |
| 52 | गौंडानुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°22'44.94" | 77°49'24.1" |
| 53 | कमबालम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'1.16" | 77°53'17.73" |
| 54 | कुदमकोट्टाई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'12.37" | 77°56'55.85" |
| 55 | गुल्लाट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'4.83" | 77°49'18.92" |
| 56 | दोड्डा इवानापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'9.49" | 77°49'5.02" |
| 57 | मुकानाकेरे | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'20.78" | 77°54'16.41" |
| 58 | होसाडोड्डु | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'22.7" | 77°42'57.32" |
| 59 | गोनमारनापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'30.34" | 77°46'30.45" |
| 60 | वोट्टानहट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'38.92" | 77°52'47.16" |
| 61 | सिवनापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'41.15" | 77°46'52.7" |
| 62 | पनाई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'40.97" | 77°42'51.34" |
| 63 | करादीक्काल | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°23'57.1" | 77°40'47.93" |
| 64 | मेल्लुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'21.03" | 77°50'59.15" |
| 65 | चिन्ना कुरुबट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'31.25" | 77°50'31.82" |
| 66 | अरुलालम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'26.78" | 77°46'14.09" |
| 67 | जवनासन्दिरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'37.02" | 77°51'3.32" |
| 68 | पेरिया कुरुबट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'36.46" | 77°49'49.87" |
| 69 | अवलापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'47.23" | 77°56'18.71" |
| 70 | गुदुसालुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'42.46" | 77°50'45.64" |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 71 | मुचांदिराम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'44.72" | 77°47'24.38" |
| 72 | देकारी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'55.07" | 77°55'41.29" |
| 73 | करादीनाट्टम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'55.68" | 77°54'42.86" |
| 74 | मदिगीरीपलैयम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'50.33" | 77°49'26.28" |
| 75 | गोल्लापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'41.26" | 77°40'46.31" |
| 76 | होसाडोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°24'50.37" | 77°40'32.72" |
| 77 | गेड्डाहल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°25'9.52" | 77°51'4.02" |
| 78 | पुल्लाहल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°25'19.32" | 77°57'9.52" |
| 79 | अयुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°25'19.7" | 77°51'22.67" |
| 80 | बेलालम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°25'16.99" | 77°49'10.54" |
| 81 | मदाकाल | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°25'15.43" | 77°39'56.47" |
| 82 | सुलाकुन्ता | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°25'47.54" | 77°39'12.39" |
| 83 | कोम्मनुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'17.05" | 77°56'39.02" |
| 84 | नेल्लुकुन्ती | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'13.36" | 77°53'10.25" |
| 85 | अरासाञ्जुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'27.31" | 77°51'42.44" |
| 86 | कमासामदिराम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'36.46" | 77°51'8.09" |
| 87 | मुदुगेराई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'25.51" | 77°41'46.43" |
| 88 | कुचुवाडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'41.91" | 77°53'38.82" |
| 89 | डोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'34.25" | 77°41'35" |
| 90 | पडीगानालाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'41.25" | 77°41'11.27" |
| 91 | चिन्ना डिब्बानुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'1.1" | 77°51'36.78" |
| 92 | मंजीकेरे | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'49.42" | 77°38'53.28" |
| 93 | लक्कासानदिराम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°26'54.57" | 77°42'16.88" |
| 94 | पैलमंडोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'3.2" | 77°42'45.14" |
| 95 | दिब्बानुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'16.9" | 77°51'20.13" |
| 96 | सवीराबट्टाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'9.03" | 77°40'22.77" |
| 97 | बोलाराई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'10.63" | 77°41'6.92" |
| 98 | गुडीयुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'28.65" | 77°55'5.24" |
| 99 | रामापुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'26.38" | 77°40'40.55" |
| 100 | गेरागुरु | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'32.82" | 77°40'29.11" |
| 101 | नंनदीमनगालम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'41.75" | 77°38'45.8" |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 102 | चिन्ना कल्लुपल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'9.05" | 77°54'45.7" |
| 103 | केव्वाराडोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°27'55" | 77°38'3.12" |
| 104 | जमसांद्रा | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'0.23" | 77°40'26.54" |
| 105 | कुम्बालादुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'1.86" | 77°39'47.81" |
| 106 | तिप्पासंदिराम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'20.09" | 77°51'3.61" |
| 107 | गोविन्दापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'30.02" | 77°52'59.52" |
| 108 | टाटासंदिराम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'31.24" | 77°53'40.03" |
| 109 | टोडीकल्लु | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'30.74" | 77°52'19.89" |
| 110 | डोड्डा कल्लुपल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'45.16" | 77°55'11.29" |
| 111 | कल्लुबलाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'31.59" | 77°39'58.2" |
| 112 | सट्टानाक्काल | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°29'3.49" | 77°54'2.65" |
| 113 | बसावनापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°29'4.91" | 77°53'24.42" |
| 114 | चेन्नामालम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°28'47.68" | 77°35'45.07" |
| 115 | नचीपल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°29'4.94" | 77°39'48.17" |
| 116 | तेरवादी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°29'10.91" | 77°40'30.96" |
| 117 | नोराप्पुगुट्टई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°29'52.38" | 77°58'1.74" |
| 118 | सोरागुरीकी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°29'57.12" | 77°57'22.39" |
| 119 | बेरानुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°30'3.68" | 77°57'27.92" |
| 120 | कोट्टुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°30'11.23" | 77°57'16.64" |
| 121 | नराप्पनाट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°30'25.04" | 77°52'29.27" |
| 122 | मारगट्टुडोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°30'16.68" | 77°39'52.76" |
| 123 | कुलसांडोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°30'17.48" | 77°40'9.07" |
| 124 | रतनागिरि | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'5.72" | 77°52'46.2" |
| 125 | जवालागिरि | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°30'56.96" | 77°38'41.67" |
| 126 | गुल्लाट्टी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'29.11" | 77°52'47.08" |
| 127 | अदाक्कम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'53.21" | 77°57'56.98" |
| 128 | कुरुवाराप्पल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'31.38" | 77°36'3.93" |
| 129 | गवीपुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'0.41" | 77°55'13.56" |
| 130 | पवादाराहल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'6.4" | 77°57'52.61" |
| 131 | केमपाथल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'41.96" | 77°35'46.6" |
| 132 | मल्लीयानडोडुडी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'47.62" | 77°36'4.71" |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 133 | पंचुमनडोड़ी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°31'54.46" | 77°38'19.81" |
| 134 | लक्ष्मीपुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'29.11" | 77°52'41.81" |
| 135 | पुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'33.84" | 77°56'9.76" |
| 136 | ओद्वारपलाइयम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'13.03" | 77°37'36.86" |
| 137 | बच्चालडोड़ी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'15.19" | 77°36'16.63" |
| 138 | कुरुबुरापल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'41.4" | 77°56'34.33" |
| 139 | कुदुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'42.31" | 77°54'32.35" |
| 140 | अनाईक्कराई | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°32'29.06" | 77°37'51.57" |
| 141 | बिलालम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°33'21.5" | 77°35'50.72" |
| 142 | चिक्का अवेराहल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°34'12.52" | 77°36'32.28" |
| 143 | तंदा | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°34'14.66" | 77°36'12.18" |
| 144 | अच्चुपलु | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°35'2.41" | 77°36'22.16" |
| 145 | गिजनकुप्पे | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°35'28.22" | 77°37'37.74" |
| 146 | वदारपलायम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°35'29.98" | 77°37'8.89" |
| 147 | मुनीयानडोड़ी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°35'30.17" | 77°36'44.42" |
| 148 | छट्टीरामडोड़ी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°35'47.24" | 77°36'31.94" |
| 149 | देवरबट्टाम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°37' 26.21" | 77°37' 54.95" |
| 150 | ओसुर | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°37' 56.12" | 77°38' 41.67" |
| 151 | गंगानहल्ली | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°38' 52.07" | 77°39' 17.48" |
| 152 | बसावनपुरम | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°39' 8.71" | 77°37' 11.14" |
| 153 | बेलाक्केरी | राजस्व | देनकनीकोट्टई | कृष्णगिरि | 12°39' 10.86" | 77°36' 43.88" |
| 154 | कराहल्ली | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°28'35.37" | 77°56'23.53" |
| 155 | जलाटीम्मानाहल्ली | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°28'21.71" | 77°56'27.27" |
| 156 | पंचापल्ली | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°27'38.19" | 77°56'33.58" |
| 157 | इरिपंचापल्ली | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°27'8.70" | 77°56'38.77" |
| 158 | पेरियानुर | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°25'45.42" | 77°58'6.10" |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | ग्राम के प्रकार | तहसील/तालुक | जिला | अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप | देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप |
|---------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 159 | कुरुम्बरकोट्टई | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°25'0.39" | 77°58'33.37" |
| 160 | अथिमुतलु | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°24'17.91" | 77°58'34.70" |
| 161 | अगराम | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°23'21.47" | 77°58'20.84" |
| 162 | बेम्माहल्ली | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°22'37.67" | 77°57'57.95" |
| 163 | कोंदियामपट्टी | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°22'5.90" | 77°58'16.05" |
| 164 | सिंगमपट्टी | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°21'52.75" | 77°57'52.95" |
| 165 | पुदुर | राजस्व | पालाकोड | धर्मपुरी | 12°19'14.53" | 77°56'16.55" |

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2020

S.O. 07(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1943(E), dated the 11th June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th June, 2019;

AND WHEREAS, objections or suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were considered in the Ministry;

AND WHEREAS, Cauvery North Wildlife Sanctuary (CNWLS) was established *vide* G.O (MS) No. 30 Environment and Forest Department dated the 24th February, 2014 and published in the Tamil Nadu Government Gazette notification bulletin No.10 dated the 12th March, 2014;

AND WHEREAS, the Sanctuary is situated within the North Latitudes of 12.2557° N to 12.6846° N and East Longitudes 77.5812° E to 77.9739° E and is located in the North Western part of Krishnagiri District. The total geographical area of the Sanctuary is 504.33 square kilometers and spreads across twenty four Reserved Forests of Hosur and Dharmapuri Forest Divisions. Out of the total area, 493.33 square kilometres area is located in Denkanikottai taluk of Krishnagiri district and 11 square kilometres is located in Palacode Taluk of Dharmapuri Districts;

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for its rich floristic and faunal diversity. Since, it is contiguous with the Bhanerghatta National Park and Cauvery Wildlife Sanctuary of Karnataka, the protected area acts as one of the ideal habitats for many wild animals. The Cauvery North Wildlife Sanctuary is part of the Brahmagiri-Nilgiri-Eastern Ghats Elephant Landscape and it is Nilgiri-Eastern Ghats Elephant Reserve. The contiguous landscape of forests that spread across Tamil Nadu and Karnataka provides an ideal habitat for various forms of wildlife;

AND WHEREAS, the Sanctuary has connectivity to the complex landscapes comprising the Nilgiri hills of Tamil Nadu, Bandipur – Nagarhole Protected Area of Karnataka, Wyanad of Kerala, Biligiriranganathaswamy Temple Sanctuary of Karnataka adjoining the Sathyamangalam Tiger Reserve and Dharmapuri Forest Divisions;

AND WHEREAS, the Sanctuary is rich in floral and faunal diversity. It accounts for 468 species of plants, 36 species of mammals, 272 species of birds and 172 species of butterflies which includes rare, endemic and endangered species such as grizzled giant squirrel, four-horned antelope, leopard, elephants, dhole, sloth bear etc. This contiguous and complex landscape helps in migration of wildlife and hence serves as a potential corridor for large mammals such as Asian elephants, Bengal tiger, leopard, etc. The movement of wildlife especially elephants can be feasible only through various protection and conservation measures;

AND WHEAREAS, the Sanctuary has wide variety of flora and fauna. Examples of flora are alingi maram (*Alangium salvifolium*), thuringi maram (*Albizia amara*), karuvaagai maram (*Albizia odoratissima*), vel nagamaram/ vakkali (*Anogeissus latifolia*), kattu elumichai (*Atlantia monophylla*), kaddappai maram (*Barringtonia acutangula*), athi maram (*Bauhinia racemosa*). Examples of fauna include Asian elephant (*Elephas maximus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), black naped hare (*Lepus nigricollis*), bonnet Macaque (*Macaca radiata*), common langur (*Semnopithecus spp*), common palm civet (*Paguma larvata*), four horned antelope (*Tetraceres quadricornis*), etc;

AND WHEAREAS, the avian diversity is wide and varied in the Sanctuary some examples of birds found in the Sanctuary are grey francolin (*Francolinus pondicerianus*), jungle bush quail (*Perdica asiatica*), painted bush quail (*Perdica erythrorhyncha*), red spurfowl (*Galloperdix spadicea*), grey jungle fowl (*Gallus sonneratii*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), lesser whistling duck (*Dendrocygna javanica*), Indian spot-billed duck (*Anas poecilorhyncha*), northern shoveler (*Anas clypeata*), etc.;

AND WHEAREAS, the Sanctuary includes 19 enclosures with 30 villages /hamlets and the entire Chennamalam Revenue village in Jawalagiri Reserved Forest (located in western part of the Sanctuary) is one of the prime elephant corridors of South India;

AND WHEAREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Cauvery North Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies that an extent 1 kilometer (uniform) except area adjoining the Karnataka State where it is 0 (zero) and 1.75 kilometer at Chennamalam revenue village around the boundary of Cauvery North Wildlife Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Cauvery North Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -(1) The extent of Eco-sensitive Zone is 1 kilometer (uniform) except area adjoining the Karnataka State where it is 0 (zero) and 1.75 kilometers at Chennamalam revenue village around the Cauvery North Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-sensitive Zone is 301.934 square kilometers.

- (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-I**.
- (3) The map of the protected area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure – IIA** to **Annexure - IIE**.
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the protected area and the Eco-sensitive Zone is at **Table A** and **B** of **Annexure - III**.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure - IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest and Wildlife,
 - (iii) Agriculture,
 - (iv) Revenue,
 - (v) Urban Development,
 - (vi) Tourism,
 - (vii) Rural Development,
 - (viii) Irrigation and Flood Control,

- (ix)Municipal,
 - (x) Panchayati Raj, and
 - (xi)Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

- (6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**-Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (i) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (ii) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.**-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**-The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Activity | Description |
|---------------------------------|--|--|
| A. Prohibited Activities | | |
| 1. | Commercial mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; |
| | | (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.). | New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted. |
| 3. | Establishment of major hydroelectric project. | Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws. |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 4. | Use or production or processing of any hazardous substance. | Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws. |
| 5. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws. |
| 6. | Setting up of new saw mills. | New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 7. | Setting up of brick kilns. | Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws. |
| B. Regulated Activities | | |
| 8. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 9. | Construction activities. | (a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 10. | Small scale non polluting industries. | Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. |
| 11. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p> |
| 12. | Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce. | Regulated under applicable laws. |
| 13. | Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies. | Regulated under applicable laws. |
| 14. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. | Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted. |
| 15. | Infrastructure including civic amenities. | Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 16. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 17. | Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | Regulated as per the applicable laws. |
| 18. | Protection of hill slopes and river banks. | Regulated as per the applicable laws. |
| 19. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose under applicable laws. |
| 20. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted as per the applicable laws for use of locals. |
| 21. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws. |
| 22. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable law. |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 23. | Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage. | Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority. |
| 24. | Solid waste Management | Regulated as per the applicable laws. |
| 25. | Introduction of Exotic species. | Regulated as per the applicable laws. |
| 26. | Use of polythene bags. | Regulated as per the applicable laws. |
| 27. | Commercial sign boards and hoardings. | Regulated as per the applicable laws. |
| 28. | Religious tourism | (i) In temple area occurring as enclosures, all activities which cause noise, air and water pollution may be regulated. (ii) In other areas also, all activities which cause noise, air and water pollution may be regulated. (iii) Number, time of visit of pilgrims shall be regulated based on the carrying capacity of the visiting site. The regulations may be relaxed during festival days. |
| 29. | Use of Fire Crackers | Regulated as per the applicable laws. |
| 30. | Charcoal Burning | Shall be regulated during the breeding and migratory seasons under the applicable laws. |
| 31. | Eco-tourism. | Regulated as per the applicable laws. |
| C. Promoted Activities | | |
| 32. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Adoption of green technology for all activities | Shall be actively promoted. |
| 35. | Cottage industries including village artisans, etc . | Shall be actively promoted. |
| 36. | Use of renewable energy and fuels. | Bio-gas, solar light etc. to be actively promoted. |
| 37. | Agro-Forestry. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Use of eco-friendly transport. | Shall be actively promoted. |
| 39. | Skill Development. | Shall be actively promoted. |

| | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 40. | Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats. | Shall be actively promoted. |
| 41. | Environmental awareness. | Shall be actively promoted. |

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

| Sl. No. | Constituent of Monitoring Committee | Designation |
|---------|---|-------------------|
| 1. | District Collector, Krishnagiri | Chairman; |
| 2. | District Revenue officer, Krishnagiri | Member; |
| 3. | Revenue Divisional Officer / Sub Collector, Hosur | Member; |
| 4. | Deputy Director, Geology, Mines and Minerals, Krishnagiri | Member; |
| 5. | District Environmental Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board, Krishnagiri | Member; |
| 6. | A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government | Member; |
| 7. | An expert in Biodiversity nominated by the State Government | Member; |
| 8. | An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government | Member; |
| 9. | A representative from State Public Works Department | Member; |
| 10. | A representative from State Pollution Control Board | Member; |
| 11. | Divisional Forest officer, IFF Division, Krishnagiri | Member; |
| 12. | Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board, Krishnagiri District. | Member; |
| 13. | District Forest Officer, Hosur Forest Division, Hosur | Member-Secretary. |

6. Terms of reference.-(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to

the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/34/2018-ESZ]

Dr. SATISH. C GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

| | |
|-------------------|---|
| North West | The Boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts at the North eastern corner of boundary point of Thally Extension Reserve Forest of Jawalgiri Range of Denkanaihattai Taluk, Krishnagiri district. The boundary travels westwards along the northern margin of Thally Extension Reserve Forest reaching the western most boundary point of Thally Reserve Forest along the Karnataka - Tamilnadu Inter-State boundary. Further, travels southwards along the Karnataka - Tamilnadu Inter-State boundary reaching the southernmost boundary point of Thally Reserve Forest. Then it turns eastern direction and meets at the Thally corridor villages of Bilalam and then the line continues in Northern direction near the boundary of Chikka Averahalli village, then it extends along the boundary of Achubalu Revenue village and the line turns towards easterly direction meets the village boundary of Gijanakuppe village, then it turn and extents towards northern direction and meets at Oddarpalayam village, then the line similarly successively meets and continues along the boundaries of Osur, Ganganahalli Villages and finally it meets at the starting point of Thally Extension Reserve Forest. |
| North | The boundary starts at Nellumar Agraharam and extents towards southwards direction of Jawalagiri Reserve Forests. Then it passes through the villages of Anaikarai, Panchumandoddi, Jawalagiri and meets at Maragattadoddi. It further continues through |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>Kulsandoddi, Thervidi, Nachipalli, Kallubalam, Geragura, Bolarai and it slightly turns towards easterly direction and extents towards the village boundary Pailmandoddi. It further turns towards south direction meets at Kundukottai village and further continue through Arulallam and meets at Gonamakanapalli (Panai Reserve Forest). Further it turns towards northern direction and passes through Sivanapalli, Muchandiram and turns towards easterly direction and meets at Belalam village and then it meets at Melur village (Gullatty Reserve Forest).</p> <p>The boundary extends towards northern direction and Aiyur, Arasajjur, Kamasandiram, Dibbanur and meets at Thippasandiram village (Aiyur Extension). It further travels northwards and passes through Basavanahalli, Baleguli, Narappanahatti, Gullatti and finally it meets at Lakshmipuram village (Udedurgam Reserve Forest).</p> |
| North East | The boundary starts at Lakshmipuram village, further it extents towards Northeastern direction and passes through Kudur, Gavipuram, U.Puram, Gurubarapalli and meets Pavadarapatti village, then it turns towards southern direction and finally meets at the boundary of Nerupuguttai village (Udedurgam Reserve Forest). |
| East | The boundary starts from Nerupuguttai and extends downwards southern direction and traverse through the village boundaries of Jalathimmahalli, Panchapalli, Eri Panchapalli, Perianur, Kurumbarkottai, Athimutlu, Agaram, Bemmahalli, Singampatti and ends at Pudur village (Galigattam Reserve Forest). |
| South East | The boundary starts from Pudur village and turns towards westerly direction and meets near Uchikal malai of Morappur Reserved Forest, then it turns towards southern direction and passes through Uchikal malai, Alegettu enclosure, finally it meets near Gutirayan malai in Gutirayan Reserved Forest. |
| South | The boundary starts from Gutturayan Reserved Forests and turns towards western direction and the line passes through Biligundulu Reserve Forest and meets at Sivalingapuram of enclosure village, then it passes through Geratty village boundary and ends at Shesarajapuram village (Anchetty Reserve Forest). |
| South West | The boundary starts from Shesarajapuram villages and extends towards northern direction traverse through Ubrani Reserve Forest and ends at northern boundary of Ubrani Reserve Forest (Anchetty enclosure boundary). |
| West | <p>The boundary passes through Nasi Guddai, villages of Anchetty, Sakalapatti and Mariyalam villages and meets at Hosadoddi village and passes through the boundary line of Ulibanda Reserve Forest. Further the line turns towards the western direction and passes through the villages of Karadikal, Gollapalli, Hosadoddi, Madakkal, Sulakunda, Manjikere and reaches Nandimangalam Revenue village. The boundary further extends towards western direction and meets at Kebbaradoddi village. From there, the boundry further passes along the western boundary of Jawalagiri Reserve Forests.</p> <p>The boundary further continues along the Western boundary of Chennamalam Village and again passes along the boundary of Jawalagiri Reserve Forests. Further extends northwards and passes through the Thally corridor villages of Kempathpalli, Gurusathappandoddi and finally ends at southernmost boundary of Thally Reserve Forest.</p> |


ANNEXURE-IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CAUVERY NORTH WILDLIFE SANCTUARY




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CAUVERY NORTH WILDLIFE SANCTUARY




ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CAUVERY NORTH WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CAUVERY NORTH WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH 10 KILOMETER BUFFER



ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CAUVERY NORTH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Cauvery North Wildlife Sanctuary

| SI. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 1(S1) | Northwest most point of the Sanctuary- "Zero Point" | 12° 41' 2.819" | 77° 39' 45.078" |
| 2 | 2 | Northwest | 12° 40' 52.084" | 77° 39' 10.010" |
| 3 | 3 | Northwest | 12° 40' 44.212" | 77° 38' 37.089" |
| 4 | 4 | Northwest | 12° 40' 34.192" | 77° 37' 59.158" |
| 5 | 5 | Northwest | 12° 40' 18.448" | 77° 37' 0.473" |
| 6 | 6 (S 39) | Northwest | 12° 40' 0.556" | 77° 35' 58.209" |
| 7 | 7 | Northwest | 12° 38' 59.008" | 77° 35' 47.474" |

| Sl. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 8 | 8 | Northwest | 12° 38' 32.528" | 77° 36' 1.788" |
| 9 | 9 | Northwest | 12° 38' 6.048" | 77° 36' 10.376" |
| 10 | 10 | Northwest | 12° 37' 18.813" | 77° 35' 42.465" |
| 11 | 11 | Northwest | 12° 36' 24.422" | 77° 35' 30.298" |
| 12 | 12 | Northwest | 12° 35' 32.178" | 77° 35' 23.141" |
| 13 | 13 (S 38) | Northwest | 12° 34' 21.326" | 77° 34' 45.926" |
| 14 | 14 (S 5) | Northwest – Thally Reserve Forest | 12° 33' 2.602" | 77° 34' 50.936" |
| 15 | 15 | Northwest | 12° 33' 53.415" | 77° 35' 33.876" |
| 16 | 16 | Northwest | 12° 34' 55.679" | 77° 36' 3.935" |
| 17 | 17 | Northwest | 12° 35' 58.658" | 77° 36' 9.660" |
| 18 | 18 | Northwest | 12° 35' 47.207" | 77° 36' 50.454" |
| 19 | 19 | Northwest | 12° 35' 55.079" | 77° 37' 37.688" |
| 20 | 20 | Northwest | 12° 36' 48.039" | 77° 37' 52.002" |
| 21 | 21 (S 4) | Northwest – Thally Reserve Forest | 12° 37' 38.852" | 77° 37' 34.110" |
| 22 | 22 | Northwest | 12° 38' 13.920" | 77° 38' 17.766" |
| 23 | 23 (S 3) | Northwest – Thally Reserve Forest | 12° 38' 59.008" | 77° 38' 39.952" |
| 24 | 24 (S 2) | Northwest – Thally Reserve Forest | 12° 39' 49.105" | 77° 39' 2.138" |
| 25 | 25 (S 8) | North -Jawalagiri Reserve Forest | 12° 32' 40.416" | 77° 37' 11.924" |
| 26 | 26 | North | 12° 32' 10.358" | 77° 36' 37.571" |
| 27 | 27 (S 7) | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 32' 2.485" | 77° 36' 14.670" |
| 28 | 28 | North | 12° 31' 30.280" | 77° 36' 8.229" |
| 29 | 29 (S 6) | North -Jawalagiri Reserve Forest | 12° 31' 20.976" | 77° 35' 30.298" |
| 30 | 30 (S 36) | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 30' 59.506" | 77° 35' 12.406" |
| 31 | 31 (S 35) | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 30' 53.065" | 77° 36' 41.865" |
| 32 | 32 (S 34) | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 30' 32.311" | 77° 36' 56.179" |
| 33 | 33 | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 43.645" | 77° 36' 3.219" |
| 34 | 34 (S 33) | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 28' 28.499" | 77° 36' 17.533" |
| 35 | 35 (S 32) | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 47.223" | 77° 37' 35.541" |
| 36 | 36 (S 31) | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 28' 5.597" | 77° 37' 51.286" |
| 37 | 37 | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 28' 4.882" | 77° 38' 14.903" |
| 38 | 38 | West-Jawalagiri Reserve Forest | 12° 28' 15.617" | 77° 38' 51.402" |
| 39 | 39 | West - Panai | 12° 27' 14.069" | 77° 38' 52.118" |
| 40 | 40 | West - Panai | 12° 26' 19.678" | 77° 39' 22.176" |

| Sl. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 41 | 41 | West - Panai | 12° 25' 41.747" | 77° 40' 6.548" |
| 42 | 42 | West - Panai | 12° 25' 0.953" | 77° 40' 54.498" |
| 43 | 43 | West - Panai | 12° 24' 8.709" | 77° 41' 26.704" |
| 44 | 44 | West - Panai | 12° 23' 47.239" | 77° 42' 40.418" |
| 45 | 45 (S 30) | West Near Panai Extension Reserve Forest | 12° 24' 10.141" | 77° 42' 54.016" |
| 46 | 46 | West - Panai | 12° 23' 30.063" | 77° 43' 27.653" |
| 47 | 47 | West - Panai | 12° 22' 44.975" | 77° 43' 42.682" |
| 48 | 48 | West - Panai | 12° 22' 39.250" | 77° 44' 8.446" |
| 49 | 49 (S 29) | West - Panai | 12° 22' 14.917" | 77° 43' 44.113" |
| 50 | 50 | West - Panai | 12° 21' 36.986" | 77° 44' 22.044" |
| 51 | 51 | West - Panai | 12° 21' 34.839" | 77° 44' 53.534" |
| 52 | 52 | West - Panai | 12° 21' 1.918" | 77° 45' 8.563" |
| 53 | 53 | West - Anchetty Reserve Forest | 12° 20' 16.831" | 77° 45' 2.837" |
| 54 | 54 (S 28) | West - Anchetty Reserve Forest | 12° 20' 21.841" | 77° 44' 8.446" |
| 55 | 55 | Southwest - Anchetty Reserve Forest | 12° 19' 20.293" | 77° 44' 12.024" |
| 56 | 56 | Southwest - Anchetty Reserve Forest | 12° 18' 6.578" | 77° 43' 32.662" |
| 57 | 57 | Southwest - Anchetty Reserve Forest | 12° 17' 22.206" | 77° 43' 56.280" |
| 58 | 58 (S 27) | Southwest - Anchetty Reserve Forest | 12° 16' 27.099" | 77° 44' 7.015" |
| 59 | 59 | Southwest - Anchetty Reserve Forest | 12° 16' 42.129" | 77° 45' 14.288" |
| 60 | 60 | South-Anchetty Reserve Forest | 12° 16' 54.295" | 77° 46' 14.405" |
| 61 | 61 (S 26) | South-Anchetty Reserve Forest | 12° 17' 17.197" | 77° 47' 0.923" |
| 62 | 62 | South-Anchetty Reserve Forest | 12° 16' 54.295" | 77° 47' 30.982" |
| 63 | 63 | South-Anchetty Reserve Forest | 12° 16' 39.266" | 77° 48' 23.942" |
| 64 | 64 | South-Anchetty Reserve Forest | 12° 16' 34.972" | 77° 48' 58.294" |
| 65 | 65 (S 25) | South Kempakarai Reserve Forest | 12° 15' 42.728" | 77° 49' 16.186" |
| 66 | 66 | South Kempakarai Reserve Forest | 12° 14' 53.346" | 77° 49' 44.813" |
| 67 | 67 | South Kempakarai Reserve Forest | 12° 15' 18.395" | 77° 50' 22.028" |
| 68 | 68 | South- Gutirayan Reserve Forest | 12° 15' 45.590" | 77° 50' 51.371" |
| 69 | 69 (S 24) | South - Gutirayan Reserve Forest | 12° 15' 15.532" | 77° 51' 34.311" |
| 70 | 70 | South East- Gutirayan Reserve Forest | 12° 16' 11.355" | 77° 52' 4.369" |
| 71 | 71 (S 23) | South East- Gutirayan Reserve Forest | 12° 17' 17.912" | 77° 52' 25.124" |

| Sl. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 72 | 72 | South East – Tholuvabetta Extension Reserve Forest | 12° 18' 26.617" | 77° 52' 25.124" |
| 73 | 73 | South East – Tholuvabetta Extension Reserve Forest | 12° 19' 27.449" | 77° 52' 17.967" |
| 74 | 74 | South East – Galigattam Reserve Forest | 12° 20' 8.243" | 77° 52' 42.300" |
| 75 | 75 | South East – Galigattam Reserve Forest | 12° 20' 1.086" | 77° 53' 37.407" |
| 76 | 76 | South East – Galigattam Reserve Forest | 12° 19' 36.037" | 77° 54' 25.357" |
| 77 | 77 | South East – Galigattam Reserve Forest | 12° 19' 31.028" | 77° 55' 31.915" |
| 78 | 78 (S 21) | South East – Galigattam Reserve Forest | 12° 19' 52.498" | 77° 55' 56.248" |
| 79 | 79 | East– Galigattam Reserve Forest | 12° 20' 18.978" | 77° 56' 54.217" |
| 80 | 80 (S 20) | East-Galligattam | 12° 21' 10.506" | 77° 57' 27.138" |
| 81 | 81 | East – Marandahalli Reserve Forest | 12° 22' 12.770" | 77° 57' 7.099" |
| 82 | 82 | East – Marandahalli Reserve Forest | 12° 22' 42.828" | 77° 57' 29.285" |
| 83 | 83 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 23' 9.308" | 77° 57' 29.285" |
| 84 | 84 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 24' 7.994" | 77° 58' 6.500" |
| 85 | 85 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 25' 13.836" | 77° 57' 56.481" |
| 86 | 86 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 26' 1.786" | 77° 57' 27.854" |
| 87 | 87 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 26' 37.569" | 77° 56' 49.208" |
| 88 | 88 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 27' 9.775" | 77° 56' 30.600" |
| 89 | 89 | East – Marandahalli Extension Reserve Forest | 12° 28' 10.607" | 77° 56' 9.130" |
| 90 | 90 | East – Udeduragm Reserve Forest | 12° 28' 59.273" | 77° 55' 39.071" |
| 91 | 91 | East – Udeduragm Reserve Forest | 12° 28' 39.234" | 77° 56' 30.600" |
| 92 | 92 | East – Udeduragm Reserve Forest | 12° 29' 10.008" | 77° 56' 47.061" |
| 93 | 93 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 29' 32.910" | 77° 57' 16.403" |
| 94 | 94 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 30' 23.722" | 77° 56' 56.364" |
| 95 | 95 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 30' 12.987" | 77° 57' 43.599" |
| 96 | 96 (S 19) | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 30' 54.496" | 77° 58' 22.961" |
| 97 | 97 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 31' 31.711" | 77° 57' 54.334" |
| 98 | 98 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 13.221" | 77° 57' 12.109" |

| SI. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 99 | 99 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 12.505" | 77° 56' 24.875" |
| 100 | 100 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 31' 30.280" | 77° 56' 18.434" |
| 101 | 101 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 9.642" | 77° 55' 52.669" |
| 102 | 102 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 1.054" | 77° 55' 16.170" |
| 103 | 103 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 1.770" | 77° 54' 41.818" |
| 104 | 104 | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 19.662" | 77° 54' 14.622" |
| 105 | 105 (S 18) | Northeast – Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 37.553" | 77° 53' 39.554" |
| 106 | 106 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 32' 11.789" | 77° 52' 50.172" |
| 107 | 107 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 31' 38.153" | 77° 52' 50.888" |
| 108 | 108 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 31' 6.663" | 77° 53' 18.084" |
| 109 | 109 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 30' 30.879" | 77° 52' 51.604" |
| 110 | 110 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 30' 12.987" | 77° 52' 22.977" |
| 111 | 111 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 29' 51.517" | 77° 52' 0.791" |
| 112 | 112 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 29' 15.733" | 77° 52' 0.075" |
| 113 | 113 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 28' 57.126" | 77° 52' 41.584" |
| 114 | 114 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 28' 59.273" | 77° 53' 24.525" |
| 115 | 115 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 29' 28.616" | 77° 53' 53.867" |
| 116 | 116 | North– Udeduragm Reserve Forest | 12° 29' 10.724" | 77° 54' 23.210" |
| 117 | 117 | North– Marandahally Extension Reserve Forest | 12° 28' 32.077" | 77° 53' 56.730" |
| 118 | 118 | North– Marandahally Extension Reserve Forest | 12° 28' 12.754" | 77° 53' 10.211" |
| 119 | 119 | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 27' 57.009" | 77° 52' 25.124" |
| 120 | 120 (S 17) | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 27' 59.156" | 77° 51' 14.272" |
| 121 | 121 | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 27' 22.657" | 77° 51' 32.164" |
| 122 | 122 | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 26' 48.305" | 77° 51' 32.880" |
| 123 | 123 | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 26' 28.981" | 77° 51' 59.360" |
| 124 | 124 | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 25' 27.433" | 77° 51' 49.340" |

| Sl. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 125 | 125 (S 16) | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 25' 5.247" | 77° 51' 14.988" |
| 126 | 126 (S 15) | North– Aiyur Extension I Reserve Forest | 12° 24' 8.709" | 77° 51' 2.106" |
| 127 | 127 | North – Gullatty Reserve Forest | 12° 24' 23.023" | 77° 50' 12.008" |
| 128 | 128 | North – Gullatty Reserve Forest | 12° 24' 45.924" | 77° 49' 17.617" |
| 129 | 129 (S 14) | North – Gullatty Reserve Forest | 12° 25' 26.718" | 77° 48' 27.520" |
| 130 | 130 | North – Gullatty Reserve Forest | 12° 25' 5.247" | 77° 47' 55.315" |
| 131 | 131 | North – Gullatty Reserve Forest | 12° 24' 2.268" | 77° 47' 26.688" |
| 132 | 132 | North – Panai Reserve Forest | 12° 23' 9.308" | 77° 46' 28.718" |
| 133 | 133 | North – Panai Reserve Forest | 12° 23' 29.347" | 77° 45' 45.778" |
| 134 | 134 | North – Panai Reserve Forest | 12° 24' 14.435" | 77° 45' 33.611" |
| 135 | 135 | North – Panai Reserve Forest | 12° 24' 54.512" | 77° 45' 3.553" |
| 136 | 136 | North – Panai Reserve Forest | 12° 24' 37.336" | 77° 44' 3.436" |
| 137 | 137 | North – Panai Reserve Forest | 12° 25' 1.669" | 77° 43' 36.956" |
| 138 | 138 | North – Panai Reserve Forest | 12° 25' 51.051" | 77° 43' 36.956" |
| 139 | 139 (S 12) | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 36.138" | 77° 43' 27.653" |
| 140 | 140 | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 31.128" | 77° 42' 50.438" |
| 141 | 141 | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 56.177" | 77° 42' 36.124" |
| 142 | 142 | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 17.531" | 77° 41' 56.046" |
| 143 | 143 | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 32.560" | 77° 41' 31.713" |
| 144 | 144 | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 30.413" | 77° 40' 59.508" |
| 145 | 145 | North – Panai Reserve Forest | 12° 26' 52.599" | 77° 40' 32.312" |
| 146 | 146 | North – Panai Reserve Forest | 12° 27' 11.922" | 77° 40' 7.264" |
| 147 | 147 | North – Panai Reserve Forest | 12° 27' 40.549" | 77° 40' 5.833" |
| 148 | 148 | North – Panai Reserve Forest | 12° 27' 59.872" | 77° 39' 36.490" |
| 149 | 149 (S 11) | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 28' 25.636" | 77° 39' 42.215" |
| 150 | 150 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 12.871" | 77° 39' 17.882" |
| 151 | 151 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 20.027" | 77° 39' 55.097" |
| 152 | 152 (S 10) | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 50.086" | 77° 40' 5.833" |
| 153 | 153 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 35.772" | 77° 39' 34.343" |
| 154 | 154 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 29' 52.233" | 77° 39' 19.314" |
| 155 | 155 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 30' 23.007" | 77° 39' 21.461" |
| 156 | 156 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 30' 30.879" | 77° 38' 39.952" |

| SI. No. | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 157 | 157 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 30' 55.928" | 77° 38' 19.913" |
| 158 | 158 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 31' 34.574" | 77° 38' 10.609" |
| 159 | 159 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 31' 56.044" | 77° 37' 52.717" |
| 160 | 160 | North - Jawalagiri Reserve Forest | 12° 32' 5.348" | 77° 37' 21.228" |

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

| SI. No | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | West -Nandimangalam village | 12°27'32" | 77°38'24" |
| 2 | 2 | West -Eastern boundary of Ulibanda Reserve Forest, near Dombakallu | 12°26'33" | 77°38'29" |
| 3 | 3 | West -Sulakunta village | 12°25'44" | 77°39'11" |
| 4 | 4 | West -Near Madakkal to Sulakunta Road | 12°25'18" | 77°39'45" |
| 5 | 5 | West -Between Hosadoddi village and eastern boundary of Ulibanda Reserve Forest | 12°24'36" | 77°40'22" |
| 6 | 6 | West -Karadikkal village road point | 12°23'43" | 77°41'1" |
| 7 | 7 | West -Mariyalambetta revenue hillock | 12°23'15" | 77°41'57" |
| 8 | 8 | West -Mariyalam village boundary | 12°23'15" | 77°42'57" |
| 9 | 9 | West -Mariyalambetta revenue land | 12°22'26" | 77°43'12" |
| 10 | 10 | West -Anchetty village | 12°21'42" | 77°43'38" |
| 11 | 11 | West -Near Tamasenapalli village | 12°20'47" | 77°44'33" |
| 12 | 12 (Q) | West -Near the boundary of Ubrani Reserve Forest | 12°20'35" | 77°43'37" |
| 13 | 13 | Southwest - Ubrani Reserve Forest | 12°19'26" | 77°43'37" |
| 14 | 14 | Southwest - Ubrani Reserve Forest | 12°18'19" | 77°43'2" |
| 15 | 15 | Southwest - Ubrani Reserve Forest | 12°17'12" | 77°43'27" |
| 16 | 16 | Southwest - Ubrani Reserve Forest | 12°16'4" | 77°43'44" |
| 17 | 17 (P) | Southwest - Near Sesurajapuram Village | 12°16'13" | 77°44'45" |
| 18 | 18 | South - Near Ethakinaru Revenue land | 12°16'18" | 77°46'7" |
| 19 | 19 | South - Biligundulu Reserve Forest | 12°16'33" | 77°47'0" |

| Sl. No | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 20 | 20 | South - Biligundulu Reserve Forest | 12°16'24" | 77°47'50" |
| 21 | 21 | South - Biligundulu Reserve Forest | 12°16'6" | 77°48'32" |
| 22 | 22 | South - Biligundulu Reserve Forest | 12°15'15" | 77°49'2" |
| 23 | 23 | South - Gitirayan Reserve Forest | 12°14'20" | 77°49'38" |
| 24 | 24 | South - Gitirayan Reserve Forest | 12°15'10" | 77°50'59" |
| 25 | 25 | Southeast - Morappur Reserve Forest | 12°15'28" | 77°52'24" |
| 26 | 26 | Southeast - Morappur Reserve Forest | 12°16'43" | 77°52'44" |
| 27 | 27 | Southeast - Morappur Reserve Forest | 12°18'7" | 77°53'2" |
| 28 | 28 (N) | Southeast - Morappur Reserve Forest | 12°19'25" | 77°52'52" |
| 29 | 29 | Southeast - Morappur Reserve Forest | 12°19'19" | 77°53'50" |
| 30 | 30 | Southeast - Pudur village boundary | 12°19'7" | 77°54'50" |
| 31 | 31 (M) | Southeast - Near Galigattam Reserve Forest, Dharmapuri Division. | 12°19'23" | 77°56'31" |
| 32 | 32 | East - Singampatti village boundary | 12°20'22" | 77°57'28" |
| 33 | 33 | East - Between Bemmahalli to Agaram villages. | 12°21'42" | 77°57'55" |
| 34 | 34 | East - Athimutlu village boundary | 12°22'57" | 77°58'11" |
| 35 | 35 (L) | East - Between Kurumbarkottai to Periyannur Villages. | 12°24'15" | 77°58'47" |
| 36 | 36 | East - Near Chinnar river | 12°25'28" | 77°58'27" |
| 37 | 37 | East - Near Eripanchapalli village | 12°26'27" | 77°57'53" |
| 38 | 38 | East - Chinnar River | 12°27'1" | 77°57'21" |
| 39 | 39 | East - Near Jalathimmanalli village | 12°27'41" | 77°56'53" |
| 40 | 40 | East - Near Jalathimmanalli village | 12°28'11" | 77°56'45" |
| 41 | 41 | East - Near Karahalli village | 12°28'37" | 77°57'10" |
| 42 | 42 | Northeast - Eastern side of Udedurgam Reserve Forest | 12°28'57" | 77°57'45" |
| 43 | 43 | Northeast - Neruppukuttai village | 12°29'38" | 77°57'48" |
| 44 | 44 | Northeast - Eastern side of Udedurgam Reserve Forest | 12°30'6" | 77°58'38" |
| 45 | 45 | Northeast - Eastern side of Udedurgam Reserve Forest | 12°31'5" | 77°58'54" |
| 46 | 46 | Northeast - Near Veppalahalli | 12°31'25" | 77°58'30" |

| Sl. No | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | | village | | |
| 47 | 47 | Northeast - Railway track, between Ullatti to Pavadarapatti villages. | 12°31'55" | 77°58'13" |
| 48 | 48 | Northeast - Railway track, near Pavadarapatti village. | 12°32'32" | 77°57'43" |
| 49 | 49 | Northeast - Near Kuruburapalli village | 12°32'51" | 77°56'46" |
| 50 | 50 | Northeast - U.Puram village | 12°32'43" | 77°56'3" |
| 51 | 51 | Northeast - Near Kadur village | 12°32'37" | 77°54'59" |
| 52 | 52 | Northeast - Near Kadur village | 12°33'0" | 77°54'14" |
| 53 | 53 | Northeast - Near Kalinayanahalli village | 12°33'10" | 77°53'26" |
| 54 | 54 (K) | Northeast - Near Kalinayanahalli village | 12°32'48" | 77°53'2" |
| 55 | 55 | Northeast - Lakshmpuram village | 12°32'28" | 77°52'23" |
| 56 | 56 | North - Denkanikottai Extension RF boundary | 12°31'33" | 77°52'15" |
| 57 | 57 | North - Near Bevanatham village | 12°30'48" | 77°52'20" |
| 58 | 58 | North - Denkanikottai Reserve Forest boundary | 12°30'6" | 77°51'28" |
| 59 | 59 | North - Near Beddabaleguli village | 12°29'8" | 77°51'27" |
| 60 | 60(J) | North - Tadikkal village | 12°28'31" | 77°52'21" |
| 61 | 61 | North - Tippsandiram village | 12°28'29" | 77°51'0" |
| 62 | 62 | North - Thippasandiram to Hanumandapuram road point | 12°27'47" | 77°50'39" |
| 63 | 63 | North - Near Hanumandapuram village | 12°27'7" | 77°50'55" |
| 64 | 64 | North - Near Kamasandiram village | 12°26'17" | 77°51'17" |
| 65 | 65 | North - Aiyur village boundary | 12°25'40" | 77°51'16" |
| 66 | 66 (I) | North - Gudisalur village bounary | 12°24'56" | 77°50'41" |
| 67 | 67 | North - Near Belalam village | 12°25'10" | 77°49'39" |
| 68 | 68 | North - Between Belalam to Kolatti villages | 12°25'59" | 77°48'20" |
| 69 | 69 | North - Near Muchndiram village | 12°25'21" | 77°47'26" |
| 70 | 70 | North - Near Muchndiram village | 12°24'24" | 77°47'4" |
| 71 | 71 | North - Sivanahalli village | 12°23'51" | 77°46'45" |
| 72 | 72 | North - Gonmakkanapalli village | 12°23'41" | 77°46'23" |
| 73 | 73 | North - Arulalam village boundary | 12°24'23" | 77°46'11" |

| Sl. No | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 74 | 74 | North - Between Arulalam and Kundukotta Villages. | 12°25'7" | 77°45'40" |
| 75 | 75 | North - Near Kundukottai village | 12°25'24" | 77°44'16" |
| 76 | 76 | North - Near Hosahalli village | 12°26'40" | 77°44'2" |
| 77 | 77 | North - Near pailmandoddi village | 12°27'8" | 77°43'14" |
| 78 | 78 | North - Near Kadespalli village | 12°27'28" | 77°42'28" |
| 79 | 79 (G) | North - Near Lakkasandiram village | 12°26'57" | 77°41'55" |
| 80 | 80 | North - Near Bolarai village | 12°27'9" | 77°41'14" |
| 81 | 81 | North - Ramapuram village boundary | 12°27'27" | 77°40'38" |
| 82 | 82 | North - Between Geraguru to Kallupalam villages | 12°28'15" | 77°40'16" |
| 83 | 83 | North - Near Kurimandai village | 12°28'51" | 77°40'8" |
| 84 | 84 (F) | North - Near Tervithi village | 12°29'32" | 77°40'37" |
| 85 | 85 (E) | North - Kulsandoddi village | 12°30'23" | 77°40'1" |
| 86 | 86 | North - Near Jawalagiri village | 12°31'5" | 77°38'58" |
| 87 | 87 | North - Pansumandoddi village | 12°32'6" | 77°38'28" |
| 88 | 88 (C) | North - Nellumaru Agraharam | 12°33'9" | 77°37'39" |
| 89 | 89 | Northwest - Nellumaru Agraharam | 12°33'30" | 77°36'32" |
| 90 | 90 (B) | Northwest - Chikkaveripalli village | 12°33'54" | 77°36'20" |
| 91 | 91 | Northwest - Near Achubalu village | 12°35'13" | 77°36'39" |
| 92 | 92 | Northwest - Chudasandiram village | 12°35'20" | 77°37'45" |
| 93 | 93 | Northwest - Between Sudasandiram to Oddarpalayam villages. | 12°36'19" | 77°38'17" |
| 94 | 94 | Northwest - Near Oddapalayam village | 12°37'14" | 77°38'17" |
| 95 | 95 | Northwest - Near Osur village | 12°37'59" | 77°38'45" |
| 96 | 96 | Northwest - Near Gumlapuram village | 12°38'41" | 77°39'11" |
| 97 | 97 | Northwest - Near Gumlapuram village | 12°39'31" | 77°39'41" |
| 98 | 98 (A) | Northwest - North eastern corner of boundary point of Thally Extension Reserve Forest | 12°40'46" | 77°40'14" |
| 99 | 99 | West - Chennamalam village | 12°29'3" | 77°35'31" |
| 100 | 100 (ES) | West - Chennamalam village | 12°28'39" | 77°35'4" |

| Sl. No | Identification of prominent points | Location / Direction of Prominent Point | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 101 | 101 | West - Chennamalam village | 12°28'26" | 77°35'49" |
| 102 | 102 | West - Chennamalam village, | 12°28'28" | 77°36'17" |
| 103 | 103 (R) | West - Near Ulibanda Reserve Forest | 12°27'34" | 77°37'48" |

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

| Sl. No. | Village Name | Type of Village | Tehsil/ Taluk | District | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Kempakerai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°16'18.88" | 77°49'38.34" |
| 2 | Shesharajapuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°16'13.72" | 77°44'38.16" |
| 3 | Sivalingapuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°16'27.19" | 77°46'35.56" |
| 4 | Gerhatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°16'35.74" | 77°46'14.53" |
| 5 | Kodagerai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°17'12.51" | 77°51'43.76" |
| 6 | Doddiyur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°17'24.35" | 77°51'11.12" |
| 7 | Nayakkan Kinaru | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°17'34.11" | 77°46'52.51" |
| 8 | Galiguddai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°17'45.97" | 77°49'5.41" |
| 9 | Karakanhatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°17'49.59" | 77°51'30.02" |
| 10 | Kochiyur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'4.36" | 77°51'32.78" |
| 11 | Kodagiyur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'1.87" | 77°48'49.34" |
| 12 | Dimmattur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'6.47" | 77°48'45.46" |
| 13 | Kadur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'11.12" | 77°52'2.51" |
| 14 | Kappukuli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'8.47" | 77°48'11.85" |
| 15 | Doddur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'24.43" | 77°48'55.73" |
| 16 | Madam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'28.08" | 77°48'13.81" |
| 17 | Kargur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'29.08" | 77°48'57.69" |
| 18 | Mel Giriappanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'31.23" | 77°49'5.72" |
| 19 | Guddeni | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'34.1" | 77°49'25.67" |
| 20 | Onnepuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'34.53" | 77°48'27.97" |
| 21 | Giriappanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'43.75" | 77°48'54.58" |
| 22 | Siddappanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'43.4" | 77°48'27.69" |
| 23 | Nilampatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'47.48" | 77°50'57.22" |
| 24 | GOLLAMATTI | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'45.13" | 77°45'20.84" |
| 25 | Chikka Manchi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'56.04" | 77°48'54.51" |
| 26 | Dodda Manchi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'56.87" | 77°48'11.46" |
| 27 | Fakirsahibur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°18'57.73" | 77°47'45.83" |

| Sl. No. | Village Name | Type of Village | Tehsil/ Taluk | District | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 28 | HOSAHALLI | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°19'2.69" | 77°46'29.64" |
| 29 | Bellatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°19'9" | 77°49'43.91" |
| 30 | Narayanappanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°19'9.51" | 77°49'17.27" |
| 31 | Durgahatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°19'8.56" | 77°47'50.19" |
| 32 | Senkottai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°20'43.31" | 77°44'52.98" |
| 33 | Tamasanapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°20'42.88" | 77°44'20.08" |
| 34 | Elasamandoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°20'52.74" | 77°51'9.48" |
| 35 | Sukaligarabidugu | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'4.58" | 77°54'7.23" |
| 36 | Hosahola | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'6.17" | 77°53'27.34" |
| 37 | Bupanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'15.16" | 77°53'26.32" |
| 38 | Haleur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'12.5" | 77°50'23.03" |
| 39 | Kannikapuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'21.84" | 77°54'18.25" |
| 40 | Karukahola | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'23.37" | 77°53'46.92" |
| 41 | Balahola | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'27.43" | 77°53'10.99" |
| 42 | Golligattam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'42.59" | 77°55'53.69" |
| 43 | Kamagiri | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'42.07" | 77°53'12.41" |
| 44 | Toluvabetta | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'42.21" | 77°50'50.5" |
| 45 | Bettamugalaiaim | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'4.01" | 77°54'40.03" |
| 46 | Ramarkovil | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°21'52.39" | 77°44'2.77" |
| 47 | Dasahola | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'5.05" | 77°52'56.5" |
| 48 | Sakalapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'7.76" | 77°43'36.75" |
| 49 | Dodda Melam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'20.66" | 77°52'55.31" |
| 50 | Kottur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'39" | 77°53'7.95" |
| 51 | Tattagere | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'43.64" | 77°52'30.04" |
| 52 | Gaundanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°22'44.94" | 77°49'24.1" |
| 53 | Kambalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'1.16" | 77°53'17.73" |
| 54 | Kudamkottai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'12.37" | 77°56'55.85" |
| 55 | Gullatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'4.83" | 77°49'18.92" |
| 56 | Dodda evanapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'9.49" | 77°49'5.02" |
| 57 | Mukanakere | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'20.78" | 77°54'16.41" |
| 58 | Hosadoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'22.7" | 77°42'57.32" |
| 59 | Gonamaranapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'30.34" | 77°46'30.45" |
| 60 | Vottanhatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'38.92" | 77°52'47.16" |
| 61 | Sivanapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'41.15" | 77°46'52.7" |
| 62 | Panai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'40.97" | 77°42'51.34" |

| Sl. No. | Village Name | Type of Village | Tehsil/ Taluk | District | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 63 | Karadikkal | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°23'57.1" | 77°40'47.93" |
| 64 | Mellur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'21.03" | 77°50'59.15" |
| 65 | Chinna Kurubatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'31.25" | 77°50'31.82" |
| 66 | Arulalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'26.78" | 77°46'14.09" |
| 67 | Javanasandiram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'37.02" | 77°51'3.32" |
| 68 | Periya Kurubatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'36.46" | 77°49'49.87" |
| 69 | Avalapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'47.23" | 77°56'18.71" |
| 70 | Gudusalur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'42.46" | 77°50'45.64" |
| 71 | Muchandiram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'44.72" | 77°47'24.38" |
| 72 | Dekari | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'55.07" | 77°55'41.29" |
| 73 | Karadinattam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'55.68" | 77°54'42.86" |
| 74 | Madigiripalaiyam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'50.33" | 77°49'26.28" |
| 75 | Gollapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'41.26" | 77°40'46.31" |
| 76 | Hosadoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°24'50.37" | 77°40'32.72" |
| 77 | Geddahalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°25'9.52" | 77°51'4.02" |
| 78 | Pullahalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°25'19.32" | 77°57'9.52" |
| 79 | Aiyur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°25'19.7" | 77°51'22.67" |
| 80 | Belalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°25'16.99" | 77°49'10.54" |
| 81 | Madakal | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°25'15.43" | 77°39'56.47" |
| 82 | Sulakunta | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°25'47.54" | 77°39'12.39" |
| 83 | Kommanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'17.05" | 77°56'39.02" |
| 84 | Nellukunti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'13.36" | 77°53'10.25" |
| 85 | Arasajjur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'27.31" | 77°51'42.44" |
| 86 | Kamasandiram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'36.46" | 77°51'8.09" |
| 87 | Mudugerai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'25.51" | 77°41'46.43" |
| 88 | Kuchuvadi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'41.91" | 77°53'38.82" |
| 89 | Doddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'34.25" | 77°41'35" |
| 90 | Padiganalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'41.25" | 77°41'11.27" |
| 91 | Chinna Dibbanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'1.1" | 77°51'36.78" |
| 92 | Manjikere | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'49.42" | 77°38'53.28" |
| 93 | Lakkasandiram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°26'54.57" | 77°42'16.88" |
| 94 | Pailmandoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'3.2" | 77°42'45.14" |
| 95 | Dibbanur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'16.9" | 77°51'20.13" |
| 96 | Savirabattam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'9.03" | 77°40'22.77" |
| 97 | Bolarai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'10.63" | 77°41'6.92" |

| Sl. No. | Village Name | Type of Village | Tehsil/ Taluk | District | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 98 | Gudiyur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'28.65" | 77°55'5.24" |
| 99 | Ramapuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'26.38" | 77°40'40.55" |
| 100 | Geraguru | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'32.82" | 77°40'29.11" |
| 101 | Nandimangalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'41.75" | 77°38'45.8" |
| 102 | Chinna Kallupalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'9.05" | 77°54'45.7" |
| 103 | Kebbaradoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°27'55" | 77°38'3.12" |
| 104 | Jamsandra | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'0.23" | 77°40'26.54" |
| 105 | Kumbaladur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'1.86" | 77°39'47.81" |
| 106 | Tippasandiram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'20.09" | 77°51'3.61" |
| 107 | Govindapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'30.02" | 77°52'59.52" |
| 108 | Tattasandiram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'31.24" | 77°53'40.03" |
| 109 | Todikallu | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'30.74" | 77°52'19.89" |
| 110 | Dodda Kallupalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'45.16" | 77°55'11.29" |
| 111 | Kallubalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'31.59" | 77°39'58.2" |
| 112 | Sattanakkal | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°29'3.49" | 77°54'2.65" |
| 113 | Basavanapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°29'4.91" | 77°53'24.42" |
| 114 | Chennamalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°28'47.68" | 77°35'45.07" |
| 115 | Nachipalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°29'4.94" | 77°39'48.17" |
| 116 | Tervidi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°29'10.91" | 77°40'30.96" |
| 117 | Norappuguttai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°29'52.38" | 77°58'1.74" |
| 118 | Soraguriki | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°29'57.12" | 77°57'22.39" |
| 119 | Beranur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°30'3.68" | 77°57'27.92" |
| 120 | Kottur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°30'11.23" | 77°57'16.64" |
| 121 | Narappanatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°30'25.04" | 77°52'29.27" |
| 122 | Maragattadoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°30'16.68" | 77°39'52.76" |
| 123 | Kulsandoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°30'17.48" | 77°40'9.07" |
| 124 | Ratnagiri | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'5.72" | 77°52'46.2" |
| 125 | Javalagiri | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°30'56.96" | 77°38'41.67" |
| 126 | Gullatti | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'29.11" | 77°52'47.08" |
| 127 | Adakkam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'53.21" | 77°57'56.98" |
| 128 | Kurubarappalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'31.38" | 77°36'3.93" |
| 129 | Gavipuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'0.41" | 77°55'13.56" |
| 130 | Pavadarahalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'6.4" | 77°57'52.61" |
| 131 | Kempathalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'41.96" | 77°35'46.6" |
| 132 | Malliyandoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'47.62" | 77°36'4.71" |

| Sl. No. | Village Name | Type of Village | Tehsil/ Taluk | District | Latitude (N) DMS format | Longitude (E) DMS format |
|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 133 | Panchumandoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°31'54.46" | 77°38'19.81" |
| 134 | Lakshmipuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'29.11" | 77°52'41.81" |
| 135 | Puram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'33.84" | 77°56'9.76" |
| 136 | Oddarpalayam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'13.03" | 77°37'36.86" |
| 137 | Bachchaldoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'15.19" | 77°36'16.63" |
| 138 | Kuruburapalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'41.4" | 77°56'34.33" |
| 139 | Kudur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'42.31" | 77°54'32.35" |
| 140 | Anaikkarai | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°32'29.06" | 77°37'51.57" |
| 141 | Bilalam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°33'21.5" | 77°35'50.72" |
| 142 | Chikka Averahalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°34'12.52" | 77°36'32.28" |
| 143 | Tanda | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°34'14.66" | 77°36'12.18" |
| 144 | Achchupalu | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°35'2.41" | 77°36'22.16" |
| 145 | Gijankuppe | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°35'28.22" | 77°37'37.74" |
| 146 | Vadarpalayam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°35'29.98" | 77°37'8.89" |
| 147 | Muniyandoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°35'30.17" | 77°36'44.42" |
| 148 | Chhattiramoddi | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°35'47.24" | 77°36'31.94" |
| 149 | Devarbattam | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°37' 26.21" | 77°37' 54.95" |
| 150 | Osur | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°37' 56.12" | 77°38' 41.67" |
| 151 | Ganganhalli | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°38' 52.07" | 77°39' 17.48" |
| 152 | Basavanpuram | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°39' 8.71" | 77°37' 11.14" |
| 153 | Belakkeri | Revenue | Denkanikottai | Krishnagiri | 12°39' 10.86" | 77°36' 43.88" |
| 154 | Karahalli | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°28'35.37" | 77°56'23.53" |
| 155 | Jalatimmanahalli | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°28'21.71" | 77°56'27.27" |
| 156 | Panchapalli | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°27'38.19" | 77°56'33.58" |
| 157 | Eripanchapalli | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°27'8.70" | 77°56'38.77" |
| 158 | Periyatur | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°25'45.42" | 77°58'6.10" |
| 159 | Kurumbarkottai | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°25'0.39" | 77°58'33.37" |
| 160 | Athimutlu | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°24'17.91" | 77°58'34.70" |
| 161 | Agaram | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°23'21.47" | 77°58'20.84" |
| 162 | Bemmahalli | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°22'37.67" | 77°57'57.95" |
| 163 | Kondiyampatti | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°22'5.90" | 77°58'16.05" |
| 164 | Singampatti | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°21'52.75" | 77°57'52.95" |
| 165 | Pudur | Revenue | Palacode | Dharmapuri | 12°19'14.53" | 77°56'16.55" |

ANNEXURE –V**Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: